रजिस्ट्री सं० डी(डी०)-73

REGISTERED No. DD-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 22, 1979/भाद्रपद 31, 1901
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 22, 1979/BHADRA 31, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग —खण्ड उप-खण्ड (i)
PART II—Section Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1979

सा०का०नि० 1177.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय में पुस्तकाध्यक्ष के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम.—ये नियम पुस्तकाध्यक्ष (गृह मंत्रालय) (भर्ती) नियम, 1979 कहलायेंगे ।.

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इससे सम्बन्धित वेतनमान अनुसूची के कालम 3 से 12 तक में दिए गए अनुसार होगा ।

3. परन्तु शर्त यह है कि सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए निर्धारित आयु-सीमा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के मामले में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार छूट दी जा सकती है ।

4. अर्हताएं.—कोई भी व्यक्ति जिसकी एक से अधिक पत्नियां हों, या

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त किसी भी पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति पर इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है, यद्यपि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसे व्यक्ति पर तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले पर्सनल ला के अधीन ऐसा करने की अनुमति है और ऐसा करने के अन्य आधार है ।

5. छूट देने की शक्ति.—यदि केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक तथा उचित है तो वह ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों अथवा पदों के सम्बन्ध में इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है ।

6. शर्त : इन नियमों में कोई भी बात अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

अनुसूची

गृह मंत्रालय में पुस्तकाध्यक्ष के पद पर भर्ती के लिए नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद	सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ प्राप्य है	सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	6(क)	7
पुस्तकाध्यक्ष	1	केन्द्रीय सिविल सेवा, ग्रुप 'बी', राजपत्रित	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट दी जा सकती है) । नोट : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप से इतर) उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख होगी ।		अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा उसके समकक्ष । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या उसके समकक्ष डिप्लोमा । (iii) किसी विख्यात पुस्तकालय में जिम्मेदारी के पद पर 3 वर्ष का अनुभव । नोट 1. उम्मीदवार के अन्यथा सुयोग्य होने की स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है । नोट 2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से छूट दी जा सकती है, यदि चयन की किसी स्थिति में लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि इन समुदायों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा उसके समकक्ष डिग्री । (ii) किसी जिम्मेदार पद पर डाक्यूमेन्टेशन का अनुभव । (iii) अंग्रेजी के इतर किसी अन्य आधुनिक यूरोपीयन भाषा का व्यवहारिक ज्ञान ।

क्या सीधे भर्ती किए जानेवालों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है	किन परिस्थितियों में भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं ; शैक्षिक अर्हता : नहीं परन्तु कम से कम स्नातक की डिग्री और पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री अथवा उसके समकक्ष डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए ।	2 वर्ष	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/आर एण्ड डी संगठनों के तहत समान पदों पर काम कर रहे अधिकारी अथवा 550–900 रु०/425–800 रु० अथवा समकक्ष वेतनमानों में क्रमशः 3/8 वर्ष की सेवा वाले और कालम 7 में सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए निर्दिष्ट योग्यता तथा अनुभव रखने वाले अधिकारी । 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय सहायक पुस्तकाध्यक्ष पर भी विचार किया जाएगा और यदि उसे उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चुन लिया गया तो इसे पदोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	ग्रुप "बी" विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायी करने के मामलों पर विचार करने के लिए)** ** (i) संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —अध्यक्ष (ii) उपसचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —सदस्य (iii) उपसचिव (प्रशासन), कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग —सदस्य (iv) उपसचिव (ई०ओ०), कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग —सदस्य (v) उपसचिव (प्रशासन), मंत्रिमण्डल सचिवालय —सदस्य नोट : सीधी भर्ती किए जाने वालों के स्थायी किए जाने के सम्बन्ध में विभागीय समिति की कार्यवाही अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएगी । परन्तु यदि आयोग द्वारा इनका अनुमोदन नहीं किया जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की नयी बैठक होगी ।	प्रत्येक अवसर पर भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा और इन नियमों के किसी उपबन्ध में संशोधन करने/छूट देने के लिए भी उक्त परामर्श जरूरी होगा ।

[सं० 12018/9/77-प्रशासन । (क)]
वी० पी० लूथरा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 1st September, 1979

G.S.R. 1177.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Librarian in the Ministry of Home Affairs.

1. Short title.—These rules may be called the Librarian (Ministry of Home Affairs) (Recruitment) Rules, 1979.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in column 3 to 12 of the schedule.

3. Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of the Schedule Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders of the Government of India issued from time to time.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contract a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit and other concession required to be provided for the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Librarian in Ministry/Department of Home Affairs

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6a	7
Librarian	1	Central Civil Service Group B Gazetted	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for application from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).		Essential : (i) A second class Master's degree of a recognised University or equivalent. (ii) Degree or equivalent diploma in Library Science of a recognised University or Institute. (iii) 3 years experience in a responsible capacity in a Library of standing. Note : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note : 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Master's Degree in Library Science of a recognised University or equivalent. (ii) Experience of documentation work in a responsible capacity. (iii) Working knowledge of any one modern European Language other than English.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Age : No Educational Qualification : No, but must possess at least a Bachelors degree and degree or equivalent diploma in Library Science.	2 years	By promotion/transfer on deputation (including Short-term contract) failing which by direct recruitment.	Promotion/transfer on deputation (including short-term contract) Officers under the Central/State Governments/Universities/Research and Development Organisation holding analogous posts or with at least 3/8 years service in posts in the scale of Rs. 550-900/Rs. 425-800 of equivalent respectively and possessing qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. The departmental Assistant Librarian with 8 years regular service in the grade will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, it will be deemed as having been filled by promotion. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'B' DPC (for considering confirmation) (i) Joint Secretary (Admn.), Ministry of Home Affairs—Chairman. (ii) Deputy Secretary (Admn), Ministry of Home Affairs—Member. (iii) Deputy Secretary (Admn.), Deptt. of Personnel and AR. —Member. (iv) Deputy Secretary (EO), Department of Personnel and A R.—Member. (v) DS (A), Cabinet Secretariat—Member. Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation of the direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held.	Selection on each occasion shall be made in consultation with Union Public Service Commissin shall also be necessary for amending/relaxing any of the provision of these rules.

[No. 12018/9/77-Ad.I (A)]
V. P. LUTHRA, Under Secy.

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1979

सा०का०नि० 1178.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह-ग) भर्ती नियम, 1977 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह 'ग') भर्ती (संशोधन) नियम 1979 है।

(2) ये शासकीय गजट में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (ग्रुप 'ग') भर्ती नियम, 1977 की अनुसूची में, क्रम संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को क्रम संख्या 6 के रूप में अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

1	2	3	4	5	6	7
"पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी II	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित, लिपिक-वर्गीय)	रु० 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700	अचयन	35 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य। (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि या समतुल्य डिप्लोमा। (3) शिक्षण के माध्यम के रूप में या अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में हिन्दी का अध्ययन कम से कम उच्च विद्यालय स्तर तक किया हो।

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/प्रोन्नति द्वारा	"प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति पर स्थानान्तरण" केन्द्रीय सरकार के अधीन समतुल्य/समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसने पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी 3 का पद धारण करते हुए उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो। आवेदकों के साथ प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर नियुक्ति हेतु विभागीय पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी 3 पर भी विचार किया जाएगा। और उसके चुन लिए जाने पर पद को प्रोन्नति से भरा गया समझा जाएगा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित रहेंगे :— 1. उप सचिव (प्रशासन) विधायी विभाग—अध्यक्ष 2. उप प्रारूपकार, प्रशासन-भार-साधक राजभाषा खंड —सदस्य 3. सहायक विधि सलाहकार जिसे विधि कार्य विभाग द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।	लागू नहीं होता"

क्रम संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और 13 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को क्रमशः 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और 14 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।

[सं० ए० 12018/4/78-प्रशा० 1(वि०वि०])
को०बा० अय्यर, उप-सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 21st August, 1979

G.S.R.1178.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Legislative Department, Official Languages Wing (Group 'C') Recruitment Rules, 1977, namely :—

1. (i) These rules may be called the Ministry of Law, Justice & Company Affairs, Legislative Department, Official Languages Wing (Group 'C') Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Legislative Department, Official Languages Wing (Group 'C') Recruitment Rules, 1977, after serial No. 5 and the entries relating thereto the following shall be inserted as serial No. 6 namely :—

1	2	3	4	5	6	7
"Librarian Grade II	1	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Non-Selection	Not exceeding 35 years.	Essential : 1. Degree of a recognised University of equivalent. 2. Degree or equivalent diploma in Library Science of a recognised University or Institution. 3. Should have studied Hindi upto at least High School level either as a medium of instruction or as a compulsory or optional subject.

8	9	10	11	12	13
No	2 years	Transfer on deputation/promotion.	"Transfer on deputation/promotion." Persons holding analogous/equivalent posts under the Central Government or posts of Librarian Grade III with eight years' service in the grade. The Departmental Librarian Grade III shall also be considered along with the applicants for appointment on transfer on deputation and in the event of his selection, the post shall be deemed to have been filled up by promotion. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Departmental promotion Committee consisting of :— 1. Deputy Secretary (Admn.)—Chairman Legislative Department. 2. Deputy Draftsman, Incharge of Administration, Official Language Wing—Member 3. An Assistant Legal Adviser nominated by the Department of Legal Affairs—Member	Not applicable"

Serial numbers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 and the entries relating thereto will be re-numbered as 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 respectively.

[No. A. 12018/4/78-Adm. I (LD)]
K.B. IYER, Dy. Secy.

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1979

सा०का०नि० 1179.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मध्यप्रदेश से संबंधित मद 6 में, उच्च न्यायालय, इन्दौर न्यायपीठ से संबंधित उपमद (ख) के स्तम्भ 2 में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"श्री टी०एन० सिंह,
केन्द्रीय सरकार का स्थायी काउन्सेल।"

2. यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1979 से प्रवृत्त होगी।

[सं० फा० 36(8)/79-न्या०]
के० सी० डी० गंगवानी, अपर सचिव विधि सलाहकार

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 31st August, 1979

G.S.R. 1179.—In nexercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment

to the notification of the Government of India in the late Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960, namely :—

In the Schedule to the said notification, in Item 6 relating to Madhya Pradesh, in sub-item (P) relating to the High Court, Indore Bench, in the second column for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"Shri T. N. Sinh,

Central Government Standing Counsel."

2. This notification shall come into force with effect from the 1st September, 1979.

[No. F. 36(8)/79-Judl.]

K. C. D. GANGWANI, Additional Legal Adviser.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1979

शुद्धिपत्र

सा. का. नि. 1180.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1), तारीख 22 नवम्बर, 1978 के पृष्ठ 1112 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 201/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क [सा. का. नि. 560(अ)], तारीख 22 नवम्बर, 1978 में, "प्रिन्टों को छूट देती है" के स्थान पर "प्रिन्टों को, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है" पढ़ें ।

[अधिसूचना सं. 260/79-सी.ई./
फा. सं. 60/4/79-सी. एक्स.-2]

एस. काक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDA

New Delhi, the 22nd September, 1979

G.S.R. 1180.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 201/78-Central Excises, [G.S.R. 560 (E)] dated the 22nd November, 1978, published at page 1112 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 22nd November, 1978, for "outside India" read "outside India from the whole of the excise duty leviable thereon".

[Notification No. 260/79-CE/F. No. 60/4/79-CX. 2]

S. KAK, Under Secy.

केन्द्रीय प्रभाग

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1979

मुख्यालय संस्थापन

सा०का०नि० 1181.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 310(अ) तारीख 30 अप्रैल, 1976 को अधिक्रांत करते हुए—

(1) आयकर निपटारा आयोग का गठन करती है;

(2) श्री सुरेन्द्र नारायण को उसका अध्यक्ष नियुक्त करती है; और

(3) सर्वश्री एच०डी० बहल और एम० डी० वर्मा से यह अपेक्षा करती है कि वे निपटारा आयोग के सदस्यों के रूप में कार्य करें ।

[सं० 16/79-फा०सं० 21/32/79-प्र० आई ए (सी)]

(Central Division)

New Delhi, the 5th September, 1979

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

G.S.R. 1181.—In exercise of the powers conferred by section 245B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. G. S.R. 310(E), dated the 30th April, 1976, the Central Government hereby—

(i) constitutes the Income-tax Settlement Commission;

(ii) appoints Shri Surendra Narain as Chairman thereof; and

(iii) requires Sarvashri H. D. Bahl and M. D. Verma, to serve as members of the Settlement Commission.

[No. 16/79/F. No. 21/32/79-Ad./IA(C)]

सा०का०नि० 1182.—केन्द्रीय सरकार, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 22-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 309(अ), तारीख 30 अप्रैल, 1976 को अधिक्रांत करते हुए,

(1) धन-कर निपटारा आयोग का गठन करती है;

(2) श्री सुरेन्द्र नारायण को उसका अध्यक्ष नियुक्त करती है;

(3) सर्वश्री एच०डी० बहल और एम०डी० वर्मा से यह अपेक्षा करती है कि वे निपटारा आयोग के सदस्यों के रूप में कार्य करें ।

[सं० 15/79-फा०सं० 21/32/79-प्र०आई ए (सी)]
कैलाश पति दत्त टंडन, डेस्क अधिकारी

G.S.R. 1182.—In exercise of the powers conferred by section 22B of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. G.S.R. 309(E), dated the 30th April, 1976 the Central Government hereby—

(i) constitutes the Wealth-tax Settlement Commission;

(ii) appoints Shri Surendra Narain as Chairman thereof; and

(iii) requires Sarvashri H. D. Bahl and M. D. Verma, to serve as members of the Settlement Commission.

[No. 15/79/F. No. 21/32/79-Ad. IA(C)]
KAILASH P. D. TANDAN, Desk Officer

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1979

सा०का०नि० 1183.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारत सरकार

टकसाल (श्रेणी III के पद) भर्ती नियमावली, 1976 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारत सरकार टकसाल (श्रेणी III के पद) भर्ती (पांचवा संशोधन) नियमावली, 1979 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारत सरकार टकसाल (श्रेणी III के पद) भर्ती नियमावली, 1976 की अनुसूची के कालम 9 में क्रम संख्या 12 तथा क्रम संख्या 13 में दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्ट "लागू नहीं होता" प्रतिस्थापित की जाएगी।

[संख्या एफ० 3/9/79-कोइन]
एस० एल० दत्त, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 3rd August, 1979

G.S.R. 1183.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the India Government Mints (Class III Posts) Recruitment Rules, 1976, namely.—

1. (1) These rules may be called the India Government Mints (Class III Posts) Recruitment (Fifth Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the India Government Mits (Class III Posts) Recruitment Rules 1976, in Sr. No. 12 and in Sr. No. 13, in column 9, for the entry, the entry "Not applicable" shall be substituted.

[F. No. 3/9/79-Coin]
S. L. DUTT, Under Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1979

सा०का०नि० 1184.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अभिलेखपाल के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) अभिलेखपाल भर्ती नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा से छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
अभिलेखपाल	पांच*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित)।	225-5-260-6-290-द०रो०-6-308 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

*कार्य भार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के 'मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड' पास स्थायी दफ्तरियों और जमादारों में से और उनके न होने पर 'मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड' पास उन स्थायी चपरासियों में से, जिन्होंने 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन अथवा स्थानान्तरण द्वारा।	समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. उप सचिव (स्थापन) अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्थापन) सदस्य। 3. अवर सचिव (प्रशासन) आर्थिक कार्य विभाग —(सदस्य)। 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता

(सं० एच० 12013/1/79-ई-I (सी०)

एल०एन० शर्मा, अवर सचिव

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 29th August, 1979

G.S.R. 1184.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Record Keeper in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Finance (Department of Expenditure) Record Keeper Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and Scale of Pay.—The number of post its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, Age Limit, Qualifications etc.—The Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-Selection posts	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Record Keeper	Five* *Subject to the variation according to work load.	General Central Services Group 'C' (Non-gazetted)	Rs. 225-5-260-6-290-EB-6-308.	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer selection and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/selection transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By promotion	By selection or transfer from permanent Daftries and Jamadars and failing that from permanent Peons of the Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure who have completed eight years of service and passed 'Middle School Standard'.	Group 'D' Departmental Promotion Committee: 1. Deputy Secretary (Estt).—Chairman 2. Under Secretary (Estt).—Member 3. Under Secretary (Admn). Deptt. of Economic Affairs.—Member 4. An officer belonging to Schedule Caste and Schedule Tribe—Member.	Not applicable

[No. H-12013/1/79-E.I.(C)]
L. N. SHARMA, Under Secy.

सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मदुराई, समाहर्तालय

मदुराई, 27 अगस्त, 1979

सा०का०नि० 1185—31-3-79 को समाप्त तिमाही के दौरान सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों और उनके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का विवरण, जिन्हें उक्त अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया तथा वे व्यक्ति, जिन पर विभाग द्वारा 10,000 या इससे अधिक राशि की शास्ति अधिरोपित की गई।

क्रम सं०	दोषी ठहराये गये व्यक्तियों का नाम तथा पता	उल्लंघित धारा का विवरण तथा दी गई सजा का स्वरूप आदि
1	2	3
1.	सर्व/श्री सिवजोथि, आत्मज थिम्मायम्बी, निरुपर, मायलेट्टी, जफना श्रीलंका (ए० 1) विकेस्वराजा, आत्मज, निलालथम्बी, कोलिय रोड, नीरवियादी, जफना, श्रीलंका (ए० 2)	नागापट्टिनम के उपमंडलीय ज्यूडिशियल न्यायाधीश ने अपने दिनांक 6-3-79 के निर्णय सी सी० नं० 126/79 में निर्यात एवं आयात (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 3(2) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 को उल्लंघन करने पर ए० 1 तथा ए० 2 को छः मास के सख्त कारावास की सजा सुनाई।
	रामानाथपुरम डिवीजन :	
2.	सर्व/श्री जयकोडी अमेरोसिंगम, आत्मज राजरथिनम, 28, थिरुपु मयलेट्टी, श्रीलंका (ए० 1) नवरथिनम, आत्मज अम्बालावनर, 23 करमकली, कारानगर, श्रीलंका (ए० 2)	रामानाथपुरम के उपमंडलीय ज्यूडिशियल न्यायाधीश ने निर्यात एवं आयात (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 3(2) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा-11 का उल्लंघन करने पर ए० 1 तथा ए० 2 को तीन मास के सख्त कारावास की सजा सुनाई। केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क डिवीजन रामानाथपुरम के सहायक समाहर्ता ने, सरकार के पक्ष में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा-111 के अन्तर्गत 20062 रु० के शुद्ध मूल्य की चांदी को छड़े जब्त की।
3.	श्री शुंमुगम उर्फ सुब्बुट्टी, शुभुंगम, आत्मज कानगासापाथि, संगथिमाडम थाकपर, गली रामनाथपुरम।	रामानाथपुरम के उपमंडलीय ज्यूडिशियल न्यायाधीश ने निर्यात एवं आयात (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 3(2) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा-11 का उल्लंघन करने पर ए० 1 को 300 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
		केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मुख्यालय) कार्यालय, मदुरै के उपसमाहर्ता ने, 22,500 रु० मूल्य की 150 किलोग्राम लौंग जब्त की।

[सं० 1/79—सी०शु०]

आर जयरामन

समाहर्ता, केन्द्रीय सीमा-शुल्क एवं उत्पाद-शुल्क

MADURAI CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE : COLLECTORATE

Madural, 27th August, 1979

GSR 1185.—Particulars of persons who have contravened the provisions of Customs Act 1962 or Rules made thereunder and who

have been convicted by a court and persons on whom a penalty of Rs. 10,000 or more was imposed by the Department for the Quarter ending 31-3-79.

Serial No.	Name and address of persons convicted	Particulars of section contravened and punishment awarded etc.
1	2	3
	Nagapattinam Division	
1.	Shri Sivajothi S/o Chinnathambi, Tiruppur, Myletti, Jaffna, Sri Lanka (A.1) Vikneswaraja, S/o Ilayathambi, Kolich Road, Neereviyadi, Jaffna, Sri Lanka (A.2)	For contrvention of Section 11 of Customs Act 1962 read with Section 3(2) of Import and Export (Control) Act, the sub-divisional Judicial Magistrate Nagapattinam in his judgement CC. No. 126/79 dated 6-3-79 has sentenced A.1 and A.2 to undergo R.I. for 6 months.
	Ramanathapuram Division	
2.	S/Shri Jayakodi Amarasingam, A/o Rajarathinam, 28, Thirupu Myletti, Sri Lanka (A.1) Navarathinam, S/o Ambalavanar, 23 Karamkali Karaingar, Sri Lanka (A.2)	For contravention of Section 11 of the Customs Act read with Section 3(2) of the Import and Export (Control) Act, the Sub-divisional Judicial Magistrate Ramanathapuram has sentenced A.1 and A.2 to undergo 3 months R.I. The Assistant Collector of Central Excise, Customs Division Ramanathapuram has confiscated silver Rods and net valued Rs. 20062/- to Government under Section 111 of Customs Act, 1962.
3.	Shri Shunmugam alias Suruttai Shunmugam S/o Kanagasapabathi Thangachimadam, Post Office Street, Ramanathapuram	For contravention of section 11 of Customs Act 1962 read with section 3(2) of the Import and Export (Control) Act, the Sub-Divisional Judicial Magistrate Ramanathapuram sentenced A.1 to pay a fine of Rs. 300. The Deputy Collector of Central Excise, Hqrs. Office, Madurai has confiscated the 150 Kgs. cloves valued Rs. 22,500.

[No. 1/79 Cus. I]

R. JAYARAMAN, Collector of Central Excise and Customs

वाणिज्य नागरिक और पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1979

सा०का०नि० 1187.—केन्द्रीय सरकार, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) की धारा 28 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार की सहमति से केरल राज्य में विधिक मापविद्या का तत्समय पद धारण करने वाले व्यक्ति को, उक्त अधिनियम के भाग 4 के अध्याय 4 उपबन्धों संबंधी विधिक मापन विद्या निदेशक की सभी शक्तियां प्रत्यायोजित हैं सिवाय उन शक्तियों के जो पैकेज के रूप में रखी गई किसी वस्तु के जो किसी अन्तरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में बेची, वितरित या परिदत्त की जाती है, विनिर्माता या पैकर के विरुद्ध कोई शिकायत करने के लिए धारा 72 द्वारा प्रदत्त की जाती है।

[फा० सं० डब्ल्यू एम०-9(36)/77]

अ०स० सेठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 4th September, 1979

G.S.R. 1186.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 28 of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976), the Central Government hereby delegates, with the consent of the State Government, to the person holding for the time being the Office of the Controller of Legal Metrology in the State of Kerala all the powers of the Director of Legal Metrology pertaining to the provisions of Chapter IV of Part IV of the said Act, except the powers conferred by section 72 to make a complaint against the manufacturer or packer of any commodity in packaged form, which is sold, distributed or delivered in the course of any inter State trade and commerce.

[F. No. WM-9(36)/77]

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1079

सा०का०नि० 1187.—केन्द्रीय सरकार, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 50 की धारा 28 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पांडिचेरी केन्द्रीय शासित क्षेत्र में विधिक मापविद्या का तत्समय पद धारण करने वाले व्यक्ति को, उक्त अधिनियम के भाग 4 के अध्याय 4 उपबंधों संबंधी विधिक मापविद्या निदेशक की सभी शक्तियां प्रत्यायोजित हैं, सिवाय उन शक्तियों के जो पैकेज के रूप में रखी गई किसी वस्तु के जो किसी अन्तरराज्यी व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में बेची, वितरित या परिदत्त की जाती है, विनिर्माता या पैकर के विरुद्ध कोई शिकायत करने के लिए धारा 72 द्वारा प्रदत्त की जाती है।

[फा० सं० डब्ल्यू०एम-9(36)/77]

अ० स० सेठी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 1st September, 1979

G.S.R. 1187.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 28 of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976), the Central Government hereby delegates to the person for the time being holding the Office of the Controller of Legal Metrology in the Union Territory of Pondicherry all the powers of the Director of Legal Metrology pertaining to the provisions of Chapter IV of Part IV of the said Act, except the powers conferred by section 72 to make a complaint against the manufacturer or packer of any commodity in packaged form, which is sold, distributed or delivered in the course of any inter-State trade and commerce.

[F. No. WM-9(36)/77]

A. S. SETHI, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1979

सा०का०नि० 1188.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूजल बोर्ड तकनीकी सहायक और तकनीकी परिचारक भर्ती नियम, 1973 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) में तकनीकी परिचारक भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भूजल बोर्ड तकनीकी सहायक और तकनीकी परिचारक भर्ती। नियम, 1983 में :—

(क) नियम 5 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

(ख) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. तकनीकी सहायक ग्रेड-2	90	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' (अराजपत्रित)।	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष	मिडिल स्तर उत्तीर्ण
2. तकनीकी परिचारक	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' (अराजपत्रित)	210-4-226-द०रो०-4-250-द०रो०-5-290 रु०	चयन	18 से 25 वर्ष	1. मिडिल स्तर उत्तीर्ण 2. (क) किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला अथवा (ख) किसी कर्मशाला (यांत्र या ड्रिल) के प्रयोगशाला संबंधी या अन्य उपस्करों के अनुभव अथवा (ग) विभिन्न प्रकार के नमूना कार्य का एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण :

1. सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकेगी।

2. आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : तकनीकी वाहक श्रेणी 1, जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष सेवा कर ली है और तकनीकी वाहक श्रेणी 2, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा कर ली है।	समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—; 1. वरिष्ठ भूजल विज्ञानी (प्रशासन प्रभारी) मुख्यालय, केन्द्रीय भूजल बोर्ड—अध्यक्ष। 2. कार्यपालक इंजीनियर (मुख्यालय) केन्द्रीय भूजल बोर्ड—सदस्य। 3. प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय भूजल बोर्ड—सदस्य।	

[सं० 23-1/78-एम० आई० (ए)]

के०एम० चड्ढा, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 3rd September, 1979

G. S. R. **1188**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board Technical Bearer and Technical Attendant Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board Technical Bearer and Technical Attendant Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board Technical Bearer and Technical Attendant Recruitment Rules, 1973 :—

(a) after rule 5, the following rule shall be inserted, namely :—

"6. Power to relax :—

Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts."

(b) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Sr. No.	Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Technical Bearer, Grade II	90	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted).	Rs.196-3-220-EB-3-232.	Not applicable.	Between 18 and 25 years.	Middle school standard pass.
2.	Technical Attendant.	2	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted).	Rs.210-4-226-EB-4-250-EB-5-290.	Selection	Between 18 and 25 years. Note 1 : The upper age limit is relaxable in the case of Government servants. Note : 2 : The crucial date for determining the age limit mentioned in column 7 shall in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	1. Middle school standard pass. 2. One years' experience in work. (a) in a Scientific Laboratory, (b) in the maintenance of various laboratory and other equipments of workshop (vehicle and drills, (c) In different types of sampling work.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promottes.	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicble.
Not applicable.	Two years.	By promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion : Technical Bearer Grade I with 2 years' service in the grade and Technical Bearer Grade II with 5 years' service in the grade.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :— (1) Senior Hydrogeologist (in charge administration) (Headquarters), Central Ground Water Board—Chairman. (2) Executive Engineer (Headquarters), Central Ground Water Board.—Member. (3) Administrative Officer, Central Ground Water Board—Member	Not applicable.

[No. 23-1/78-MI(A)]

K. M. CHADHA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1979

सा०का०नि० 1189.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग), ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र, बुदनी और ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र, हिसार में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धतियों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि विभाग ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र, बुदनी और ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र, हिसार (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

2. पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों का कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रशासनिक अधिकारी (ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण केन्द्र, बुदनी)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, लिपिक-वर्गीय।	650-30-740-35-810-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण।	प्रोन्नति : विभागीय कार्यालय अधीक्षक, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा कर ली है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के सदृश पदों के धारक अधिकारी या ऐसे	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. संयुक्त सचिव (आई) —अध्यक्ष। 2. संयुक्त आयुक्त (एस) —सदस्य।	यदि किसी अवसर पर भर्ती नियमों में छूट दी जानी हो तो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य होगा।

				11	12	13
				अधिकारी, जिन्होंने 550–900 रु० के वेतनमान में 3 वर्ष नियमित सेवा कर ली है या जिन्होंने 550-750 रु० के वेतनमान में 5 वर्ष नियमित सेवा कर ली है और जिन्हें प्रशासन, स्थापना और लेखा-कार्य का अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	3. निदेशक, ट्रैक्टर प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र, बुदनी ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र हिसार—सदस्य। 4. निदेशक/उपसचिव (एम)—सदस्य। 5. उपसचिव (एफ०सी०) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधि—सदस्य। 6. अवर सचिव (एम)—सदस्य।	

1	2	3	4	5	6	7
2. प्रशासनिक अधिकारी (ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र हिसार)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, लिपिक-वर्गीय।	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण।	प्रोन्नति : विभागीय कार्यालय अधीक्षक एवं लेखापाल जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा कर ली है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के सदृश पदों के धारक अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 550–900 रु० के वेतनमान में 3 वर्ष नियमित सेवा कर ली है या जिन्होंने 550-700 रु० के वेतनमान में 5 वर्ष नियमित सेवा कर ली है और जिन्हें प्रशासनिक, स्थापना और लेखाकार्य का अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति अवधि साधारणतया 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. संयुक्त सचिव (आई)—अध्यक्ष। 2. संयुक्त आयुक्त (एम)—सदस्य। 3. निदेशक, ट्रैक्टर प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र, बुदनी/ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र हिसार—सदस्य। 4. निदेशक/उपसचिव (एम)—सदस्य। 5. उप-सचिव (एफ०सी०) (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधि)—सदस्य। 6. अवर सचिव (एम)—सदस्य।	यदि किसी अवसर भर्ती नियमों में छूट दी जानी हो तो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य होगा।

[सं० 11-8/76-एस आई (एस)]

एच०एल० त्रिवेदी, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd September, 1979

G.S.R. 1189.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the Tractor Training and Testing Station, Budni and Tractor Training Centre, Hissar, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Agriculture, Tractor Training and Testing Station, Budni and Tractor Training Centre, Hissar (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, Classification and Scale of Pay.—The number of the said posts their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Whether the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Revised Recruitment rules for the post of Administrative Officer, in Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Agriculture, Tractor Training and Testing Station, Budni and Tractor Training Centre, Hissar, File No.F.3/7(8)/77-RR.

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Educational qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Administrative Officer (Tractor Training and Testing Station, Budni)	1	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion : Departmental Office Superintendent with 5 years' regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers of the Central Govt. holding analogous posts or with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 550-900 or with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 550-750 and having experience of Administration, Establishment and Accounts matters. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years)	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. Joint Secretary (I)—Chairman 2. Joint Commissioner (M)—Member. 3. Director, Tractor Training & Testing Station Budni/Tractor Training Centre, Hissar. —Member. 4. Director/Deputy Secretary(M)— Member. 5. Deputy Secretary (FC) representing SC/ST——Member. 6. Under Secretary (M) —Secretary.	The Commission shall be consulted if any of the provisions of these recruitment rules is proposed to be relaxed on any occassion.

1	2	3	4	5	6	7
2. Administrative Officer (Tractor Training Centre, Hissar).	1	General Central Service Group 'B' Gazetted Ministerial	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Selection	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion : Departmental Superintendent-cum-Accountant with 5 years' regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers of the Central Government holding analogous posts or with 3 year's regular service in posts in the scale of Rs. 550-900 or with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 550-750 and having experience of Administration, Establishment and Accounts matters. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.)	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Joint Secretary (I)—Chairman. 2. Joint Commissioner (M)—Member. 3. Director, Tractor Training & Testing Station, Budni/Tractor Training Centre, Hissar 4. Director/Deputy Secretary (M)—Member 5. Deputy Secretary (FC) representing SC/ST —Member 6. Under Secretary (M) —Secretary.	The Commission shall be consulted if any of the provisions of these recruitment rules is proposed to be relaxed on any occasion.

[No. F. 11-8/76-MY (S)]

H. L. BIRDI, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1979

सा० का० नि० 1190.—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रथम विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी (साधारण भविष्य निधि) विनियम, 1979 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा—

(i) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "लेखा अधिकारी" से बोर्ड का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड", "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" का वही अर्थ होगा जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में क्रमशः उनका है;

(ग) अन्यथा अभिव्यक्त रूप में उपबन्धित के सिवाय, "उपलब्धियां" से ऐसा वेतन अभिप्रेत है जैसा भारत सरकार के मूल नियम के नियम 9(21) में या बोर्ड द्वारा विरचित विनियमों में यदि कोई हों, इनमें से जो भी अभिदाताओं को, छुट्टी वेतन को और अन्यत्र सेवा की बाबत वेतन की प्रकृति के किसी पारिश्रमिक को लागू हों, परिभाषित है, किन्तु इसके अन्तर्गत मयारी भत्ता, मकान किराया भत्ता, अतिकाल भत्ता, तरण यान के पर्यवेक्षण के लिए फीस, गोलाखोरी भत्ता जैसे कोई भत्ते नहीं है;

(घ) "कर्मचारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो बोर्ड के अधीन सेवा का सदस्य है और उसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसकी सेवाओं को अस्थायी रूप से केन्द्रीय/राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी को सौंप दिया गया है ;

(ङ) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है—

(i) पुरुष अभिदाता के मामले में अभिदाता की पत्नी या पत्नियां और संतानें तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और संतानें

परन्तु यदि कोई अभिदाता यह साबित करता है कि उसकी पत्नी का उससे न्यायिक पृथक्करण हो गया है या जिस समुदाय की वह है उसकी रूढ़िजन्य विधि के अधीन उसका भरण पोषण का हक समाप्त हो गया है तो उसे, जब तक कि अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में तत्पश्चात् यह संसूचित न कर दे कि उसे उसी रूप में माना जाता रहेगा, उसी समय से उन विषयों में जिनसे इन विनियमों का संबंध है, यह माना जाएगा कि वह अभिदाता के कुटुम्ब का सदस्य नहीं रह गई है,

(ii) स्त्री अभिदाता के मामले में, अभिदाता का पति और संतानें तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और संतानें :

परन्तु यदि अभिदाता, लेखा अधिकारी को लिखित सूचना देकर अपने पति को अपने कुटुम्ब में अपवर्जित करने की अपनी वांछा व्यक्त करती तो पति को, जब तक अभिदाता तत्पश्चात् ऐसी सूचना को लिखित रूप में रद्द नहीं कर देती उन विषयों की बाबत, जिनसे इन विनियमों का संबंध है, यह

माना जाएगा कि वह अभिदाता के कुटुम्ब का सदस्य नहीं रह गया है।

टिप्पण—"संतान" से धर्मज संतान अभिप्रेत है और इनके अन्तर्गत जहां अभिदाता को शासित करने वाली स्वीय विधि द्वारा दत्तक-ग्रहण को मान्यता प्राप्त है वहां दत्तक संतान भी है ;

(च) "प्ररूप" से इन विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) "निधि" से तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी साधारण भविष्य निधि अभिप्रेत है ;

(ज) "विभाग का प्रधान" से इन विनियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा उस रूप में घोषित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(झ) "कार्यालय का प्रधान" से बोर्ड द्वारा या विभाग के प्रधान द्वारा वित्तीय नियमों के अधीन कार्यालय के प्रधान के रूप में घोषित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) "छुट्टी" से महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के अधीन विरचित छुट्टी विनियमों द्वारा, जो अभिदाता को लागू हों, मान्यताप्राप्त किसी प्रकार की छुट्टी अभिप्रेत है।

(ट) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(ii) इन विनियमों में प्रयुक्त किसी अन्य पद का, जिसकी परिभाषा भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) में या केन्द्रीय सरकार के भूल नियम में या अभिदाता को लागू किसी अन्य विनियम में दी गई है, वही अर्थ होगा जो ऐसे अधिनियम, नियम का विनियम में क्रमशः उसका है ।

3. निधि का गठन और प्रबन्ध—(1) इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से, बोर्ड अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक निधि स्थापित करेगा;

(2) निधि का प्रशासन बोर्ड द्वारा किया जाएगा और उसके द्वारा यह भारत में रुपयों में रखी जाएगी।

4 पात्रता की शर्तें—(1) सभी अस्थायी कर्मचारी एक वर्ष की निरन्तर सेवा के पश्चात्, सभी पुनः नियोजित पेंशनभोगी, उनसे भिन्न जो अंशदायी भविष्य निधि में शामिल होने के पात्र हों, और सभी स्थायी कर्मचारी निधि में अभिदाय करेंगे।

(2) सभी अस्थायी कर्मचारी, जो एक वर्ष की निरन्तर सेवा मास के मध्य में पूरी करते हैं निधि में पश्चात्वर्ती मास से अभिदाय करेंगे।

(3) अस्थायी कर्मचारी, जिन्हें नियमित रिक्तियों में नियुक्त किया गया है और जिनके एक वर्ष से अधिक तक बने रहने की संभावना है, एक वर्ष की सेवा पूरी होने के पूर्व किसी समय निधि में अभिदाय कर सकेंगे।

(4) बोर्ड स्वविवेक से कर्मचारियों के किसी अन्य प्रवर्ग से निधि में अभिदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) उन कर्मचारियों से, जो किसी अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाता हैं, निधि में अभिदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(6) निधि में किसी कर्मचारी के सम्मिलित होने की निम्नलिखित प्रक्रिया होगी, अर्थात् :—

(क) प्ररूप 1 में एक आवेदन देना,

(ख) लेखा संख्या का आबंटन। कार्यालय का प्रधान पदधारियों के एक वर्ष की सेवा पूरी होने के तीन मास के पूर्व ही कर्मचारियो से प्ररूप 1 में आवेदन अभिप्राप्त करेगा।

5. अतिशेषों का अन्तरण—इन विनियमों के प्रारम्भ पर, साधारण भविष्य निधि नियम, 1960 के अधीन या ऐसे कर्मचारियों के लिए प्रवृत्त किन्हीं अन्य साधारण भविष्य निधि नियमों के अधीन गठित साधारण भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में जमा अतिशेष इन विनियमों के अधीन गठित निधि के अधीन कर्मचारी के खाते में जमा किया जायेगा।

6. नामनिर्देशन—(1) अभिदाता निधि में सम्मिलित होने के समय लेखा अधिकारी को एक नामनिर्देशन भेजेगा जिसमें वह एक या अधिक व्यक्तियों को उस रकम को प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करेगा जो उस रकम के संदेय होने के पूर्व या संदेय हो जाने पर संदत्त न किए जाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर निधि में उसके खाते में हो ;

परन्तु ऐसा अभिदाता, नामनिर्देशन किए जाने के समय जिसका कोई कुटुम्ब हो, ऐसा नामनिर्देशन केवल अपने कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ही करेगा;

परन्तु यह और कि अभिदाता द्वारा ऐसी किसी भविष्य निधि की बाबत किया गया नामनिर्देशन जिसमें वह इस निधि में सम्मिलित होने के पूर्व अभिदाय कर रहा था, यदि ऐसी अन्य निधि में उसके खाते को रकम इन निधि में उसके खाते में अन्तरित कर दी जाती है तो वह जब तक इस विनियम के अनुसार कोई नामनिर्देशन न करे, इस विनियम के अधीन सम्यक्रूप से किया गया नामनिर्देशन माना जाएगा।

(2) यदि कोई अभिदाता उप विनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता है तो वह नामनिर्देशन में उस प्रत्येक नामननिर्देशिती को संदेय अंश की रकम ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा जिससे उसके अन्तर्गत वह सम्पूर्ण रकम आ जाए जो किसी समय निधि में उसके खाते में हो ।

(3) प्रत्येक नामनिर्देशन प्ररूप, 2 3, 4 और 5 में से किसी एक प्ररूप में होगा, जो परिस्थितियों में समुचित हो।

(4) अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित सूचना भेजकर किसी नामनिर्देशन को किसी समय रद्द कर सकेगा । अभिदाता ऐसी सूचना के साथ या पृथक से इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार किया गया नामनिर्देशन भेजेगा ।

(5) अभिदाता नामनिर्देशन में निम्नलिखित का उपबन्ध करेगा—

(क) विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती की बाबत यह कि अभिदाता की मृत्यु के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर उस नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जो नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट किए जाएं, संक्रांत हो जायेगा परन्तु यह तब जब कि ऐसा अन्य व्यक्ति या ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि अभिदाता के कुटुम्ब के अन्य सदस्य हों, ऐसा अन्य सदस्य या ऐसे अन्य सदस्य होंगे । जहां अभिदाता इस खण्ड के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसा अधिकार प्रदत्त करता है वहां वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को संदेय रकम या अंश को ऐसी रीति में विनिर्दिष्ट करेगा जिससे उसके अन्तर्गत नामनिर्देशिती को संदेय सम्पूर्ण रकम आ जाए।

(ख) यह कि नामनिर्देशन उसमें विनिर्दिष्ट आकस्मिकता के होने पर अविधिमान्य हो जाएगा:

परन्तु यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता का कोई कुटुम्ब न हो तो वह नामनिर्देशन में यह उपबन्ध करेगा कि बाद में उसका कोई कुटुम्ब हो जाने पर वह अविधिमान्य हो जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता के कुटुम्ब में केवल एक सदस्य है तो वह नामनिर्देशन में यह उपबन्ध करेगा कि खण्ड (क) के अधीन आनुकल्पिक नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार बाद में उसके कुटुम्ब में के सदस्य या सदस्यों के हो जाने पर अविधिमान्य हो जाएगा।

(6) ऐसे नामनिर्देशिती की, जिसकी बाबत उपविनियम (5) के खण्ड (क) के अधीन नामनिर्देशन में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, मृत्यु हो जाने पर या ऐसी कोई घटना घटित हो जाने पर, जिसके कारण नामनिर्देशन उपविनियम (5) के खण्ड (ख) के या उसके परन्तुक के अनुसरण में अविधिमान्य हो जाता है, अभिदाता लेखा अधिकारी को नामनिर्देशन को रद्द करते हुए और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार किए गए नए नामनिर्देशन के साथ लिखित सूचना भेजेगा।

(7) अभिदाता द्वारा किए गए प्रत्येक नामनिर्देशन और रद्दकरण की प्रत्येक सूचना, उस विस्तार तक जहां तक वह वैध है, उस तारीख को प्रभावी होगी जिस तारीख को वह लेखा अधिकारी को प्राप्त होती है।

(8) ऐसे मामले जहां अभिदाता की विधवा के पक्ष में कोई नामनिर्देशन विद्यमान नहीं है वहां उसके पूर्व पति के निधि निक्षेप की बाबत दावा के लिए विधवा का हक उसके पश्चात्वर्ती विवाह द्वारा प्रभावित नहीं होता है।

7 अभिदाता का लेखा—प्रत्येक अभिदाता के नाम में लेखा रखा जाएगा और उसमें उसके अभिदायों को, उन पर विनियम 12 में विहित रूप में संगणित ब्याज सहित, रकम तथा निधि में से उधार और निकासियों को दर्शित किया जायेगा।

8 अभिदायों की शर्त और दरें—(1) अभिदाता उस अवधि के दौरान के सिवाय, जब वह निलम्बनाधीन हो, निधि में मासिक रूप में अभिदाय करेगा।

परन्तु अभिदाता, स्वविकल्पनानुसार, ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय नहीं कर सकता है, जिसके लिए कोई छुट्टी वेतन नहीं होता है या आधे वेतन के बराबर या उससे कम छुट्टी वेतन होता है :

परन्तु यह और कि अभिदाता को, निलम्बन के अधीन व्यतीत की गई अवधि के पश्चात् पुनः स्थापन पर ऐसी रकम का, जो निलम्बन की अवधि के लिए संदेय अभिदायों की बकाया को अधिकतम रकम से अधिक न हो एकमुश्त या किस्तों में, संदाय करने का विकल्प दिया जाएगा।

(2) अभिदाता लेखा अधिकारी को विनियम 9 के उपविनियम (1) के प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट छुट्टी के दौरान अभिदाय करने के अपने चयन की लिखित सूचना देगा। सम्यक्रूप से और समय के भीतर सूचना देने में असफल रहने पर यह समझा जाएगा कि उसने अभिदाय करने का चयन कर लिया है। इस उप विनियम के अधीन संसूचित अभिदाता का विकल्प अन्तिम होगा।

9. अभिदाय की दर—(1) अभिदाय की रकम अभिदाता द्वारा स्वयं निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत की जाएगी अर्थात्—

(क) यह सम्पूर्ण रुपयों में अभिव्यक्त की जाएगी ;

(ख) यह इस प्रकार अभिव्यक्त की गई कोई राशि होगी, जो उसकी उपलब्धियों के 6 प्रतिशत से कम और उसकी कुल उपलब्धियों से अधिक नहीं होगी :

परन्तु ऐसे अभिदाता के मामले में, जो किसी अंशदायी भविष्य निधि में 8½ प्रतिशत की उच्चतर दर से अभिदाय पहले करता रहा है, यह राशि इस प्रकार अभिव्यक्त कोई राशि होगी, जो उसकी उपलब्धियों के 8½ प्रतिशत से कम और उसकी कुल उपलब्धियों से अधिक नहीं होगी।

(ग) जहां कोई कर्मचारी, यथास्थिति, 6 प्रतिशत या 8½ प्रतिशत की न्यूनतम दर से अभिदाय करने का चयन करता है वहां एक रुपये के भाग को निकटतम पूर्ण रुपयों में पूर्णांकित किया जाएगा। 50 पैसे की संगणना अगले उच्चतर रुपए के रूप में की जाएगी।

(2) उपविनियम (1) के प्रयोजनों के लिए अभिदाता की उपलब्धियां निम्नलिखित होंगी –

(क) ऐसे अभिदाता के मामले में, जो पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में था, वे उपलब्धियां जिसके लिए वह उस तारीख को हकदार था :

परन्तु—

(i) यदि अभिदाता छुट्टी पर था और उसने उस तारीख को ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने का चयन किया था तो उसकी उपलब्धियां ऐसी उपलब्धियां होंगी जिनके लिए वह कर्तव्य पर वापस आने के पश्चात् प्रथम दिन हकदार था;

(ii) यदि अभिदाता उक्त तारीख को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उस तारीख को छुट्टी पर था और छुट्टी पर बना रहना है और ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय करने का चयन करता है तो उसकी उपलब्धियां ऐसी उपलब्धियां होंगी जिनके लिए वह तब हकदार होता जब वह भारत में कर्तव्य पर होता ;

(ख) ऐसे अभिदाता के मामले में, जो पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में नहीं था वह उपलब्धियां, जिनके लिए वह निधि में शामिल होने की तारीख को हकदार था।

(3) अभिदाता प्रत्येक वर्ष अपने मासिक अभिदाय की रकम के नियतन की संसूचना निम्नलिखित रूप में देगा, अर्थात्:—

(क) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को कर्तव्य पर था तो ऐसी कटौती द्वारा जिसकी प्रस्थापना वह उस मास के अपने वेतन बिल से इस निमित्त करता है –

(ख) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था और ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने का चयन किया था या उस तारीख को निलम्बनाधीन था तो ऐसी कटौती द्वारा जिसकी प्रस्थापना वह कर्तव्य पर अपने लौटने पर अपने वेतन बिल में से इस निमित्त करता है;

(ग) यदि वह वर्ष के दौरान किसी बार बोर्ड की सेवा में सम्मिलित हुआ है तो ऐसी कटौती द्वारा, जिसकी प्रस्थापना वह उस मास के अपने वेतन बिल से जिसके दौरान वह निधि में शामिल होता है, इस निमित्त करता है ;

(घ) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था और छुट्टी पर बना रहना है और ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय करने का चयन किया है तो ऐसी कटौती द्वारा, जिसकी प्रस्थापना वह उस मास के अपने वेतन बिल से इस निमित्त करता है ;

(ङ) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को अन्यत्र सेवा में था तो उस रकम द्वारा, जिसे उसने चालू वर्ष में अप्रैल मास की उपलब्धियों मुद्धे बोर्ड के खाते में जमा किया है।

(4) इस प्रकार नियत अभिदाय की रकम वर्ष के दौरान किसी समय एक बार घटाई जा सकेगी या वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाई जा सकेगी या पूर्वोक्त रीति से घटाई और बढ़ाई जा सकेगी :

परन्तु जहां अभिदाय की रकम इस प्रकार घटाई जाती है वहां वह उप विनियम (1) में विहित न्यूनतम से कम नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता किसी कलैण्डर मास के किसी भाग में वेतन रहित छुट्टी पर या अर्धवेतन छुट्टी पर है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने का चयन किया है तो संदेय अभिदाय की रकम कर्तव्य पर व्यतीत किये गये दिनों की संख्या, जिसके अन्तर्गत ऊपर निर्दिष्ट छुट्टी से भिन्न छुट्टी, यदि कोई हो, सम्मिलित है, के अनुपात में होगी .

परन्तु यह भी कि यदि अभिदाता मास के किसी भाग में कर्तव्य पर रहता है और उस मास के अवशेष भाग में छुट्टी पर रहता है और उसने छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने का चयन किया है तो संदेय अभिदाय की रकम मास में कर्तव्य पर व्यतीत किए गए दिनों की संख्या के अनुपात में होगी।

10. अन्यत्र सेवा पर स्थानान्तरण या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति—जहां कोई अभिदाता अन्यत्र सेवा पर स्थानान्तरित किया जाता है या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है वहां वह निधि के नियमों के अधीन उसी रीति से बना रहेगा मानों उसे इस प्रकार स्थानान्तरित नहीं किया गया है या प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया है।

11. अभिदायों की वसूली—(1) जब उपलब्धियां भारत में ली जाती हैं तब उन उपलब्धियों की बाबत अभिदायों और मूलधन और ब्याज और उधारों की वसूली स्वयं उपलब्धियों में से की जाएगी।

(2) जब उपलब्धियां किसी अन्य स्रोत से ली जाती हैं तब अभिदाता अपने वेतनों को मासिक रूप से लेखा अधिकारी को भेजेगा :

परन्तु सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन नियमित निकाय में तिनियुक्त अभिदाता के मामले में अभिदायों को ऐसे निकाय द्वारा वसूल किया जाएगा और लेखा अधिकारी को भेजा जाएगा।

(3) यदि कोई अभिदाता उस तारीख से, जिसको निधि में शामिल होने की उससे अपेक्षा की गई है, अभिदाय करने में असफल रहता है या वर्ष के दौरान किसी मास या मासों में विनियम 8 में यथा उपबन्धित से भिन्न कोई व्यतिक्रम करता है तो अभिदाय के बकाया मद्दे निधि में देय कुल रकम, विनियम 12 में उपबन्धित दर से उस पर ब्याज सहित, अभिदाता द्वारा निधि में तुरन्त संदत्त की जाएगी या व्यतिक्रम होने पर लेखा अधिकारी द्वारा अभिदाता की उपलब्धियों में से किस्तों में या अन्यथा कटौती करके वसूल की जाएगी जैसा कि उस उधार को करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जिसके अनुदान के लिए विनियम 13 के उपनियम (2) के अधीन विशेष कारणों की अपेक्षा हो, मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेश किया जाए :

परन्तु ऐसे अभिदाता से जिनके निधि में निक्षेप पर ब्याज नहीं लगता है, कोई ब्याज संदत्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि विनियम 11 के उपविनियम (2) के परन्तुक के अनुसार भेजी गई किसी रकम के मामले में निक्षेप की तारीख उस मास की पहली तारीख मानी जायेगी यदि वह रकम उस मास की 15 तारीख के पूर्व लेखा अधिकारी को प्राप्त हो जाए।

12. ब्याज—(1) उपविनियम 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड अभिदाता के खाते में ब्याज ऐसी दर से जमा करेगा जैसा प्रत्येक वर्ष के लिए बोर्ड अवधारित करे :

परन्तु यदि किसी वर्ष के लिए अवधारित ब्याज की दर 4 प्रतिशत से कम हो तो उस वर्ष से, जिसके लिए वह पहली बार 4 प्रतिशत से कम नियत की गई है, पूर्ववर्ती वर्ष में निधि में सभी अभिदाताओं को 4 प्रतिशत ब्याज अनुज्ञेय होगा :

परन्तु यह और कि ऐसे अभिदाता को भी, जो पहले केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य निधि में अभिदाय करता था और जिसके अभिदाय, उन पर ब्याज सहित, इस निधि में उसके खाते में अन्तरित कर दिए गए हों, 4 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, यदि उसे इस विनियम के प्रथम परन्तुक के समरूप किसी उपबन्धों के अधीन ऐसी अन्य निधि के नियमों के अधीन उस दर से ब्याज प्राप्त होता था।

(2) ब्याज प्रत्येक वर्ष के अन्तिम दिन से निम्नलिखित रीति से जमा किया जाएगा :—

(i) पूर्ववर्ती वर्ष की अन्तिम तारीख को अभिदाता के खाते की रकम पर, उसमें से चालू वर्ष के दौरान निकाली गई किसी रकम को घटाकर 12 मास का ब्याज;

(ii) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई रकम पर, चालू वर्ष के प्रारम्भ में रकम निकालने के मास से पूर्ववर्ती मास की अन्तिम तारीख तक ब्याज;

(iii) पूर्ववर्ती वर्ष की अन्तिम तारीख के पश्चात् अभिदाता के खाते में जमा की गई रकम पर निक्षेप की तारीख से चालू वर्ष के समाप्त होने तक ब्याज;

(iv) ब्याज की कुल रकम निकटतम पूर्ण रुपए में पूर्णांकित की जाएगी (पचास पैसे को अगले उच्चतर पूरे में गिना जाएगा);

परन्तु जब अभिदाता के खाते की रकम संदेय हो गई हो, तब इस विनियम के अधीन उस पर ब्याज केवल, यथास्थिति, चालू वर्ष के प्रारम्भ से या निक्षेप की तारीख से उस तारीख तक की अवधि की बाबत, जिसको अभिदाता के खाते की रकम संदेय हो जाती है, जमा किया जाएगा।

(3) इस विनियम में, निक्षेप की तारीख, उपलब्धियों की वसूली के मामले उस मास की पहली तारीख मानी जाएगी जिसमें उसे वसूल किया गया है और अभिदाता द्वारा भेजी गई किसी रकम के मामले में जिस मास में वह प्राप्त हुई है उसकी पहली तारीख मानी जाएगी, यदि वह उस मास की पांच तारीख के पूर्व लेखा अधिकारी को प्राप्त हो किन्तु यदि वह उस मास की पांच तारीख को या उसके पश्चात् प्राप्त होती है तो उत्तरवर्ती मास की पहली तारीख मानी जाएगी।

परन्तु जहां अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन और भत्तों को लेने में और परिणामस्वरूप निधि मद्दे उसके अभिदायों की वसूली में विलम्ब हो गया हो वहां ऐसे अभिदाय पर ब्याज उस मास से संदेय होगा, जिसमें अभिदाता को वेतन या छुट्टी वेतन विनियमों के अधीन संदेय था। इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि वेतन वास्तव में किस मास में लिया गया है :

परन्तु यह और कि विनियम 11 के उप-विनियम (2) के परन्तुक के अनुसार भेजी गई किसी रकम के मामले में निक्षेप की तारीख तीन मास की पहली तारीख मानी जाएगी, यदि वह उस मास की पन्द्रह तारीख के पूर्व लेखा अधिकारी को प्राप्त हो गई हो :

परन्तु यह भी कि जहां किसी मास की उपलब्धियां उसी मास के अन्तिम कार्य दिवस को निकाली जाती हैं और संवितरित की जाती हैं वहां अभिदायों की वसूली के मामले में निक्षेप की तारीख उत्तरवर्ती मास की पहली तारीख मानी जाएगी।

(4) विनियम 21, 22 और 23 के अधीन संदेय किसी रकम के अतिरिक्त उस मास के, जिसमें संदाय किया जाना है, पूर्ववर्ती मास के अन्त तक या उस मास के जिसमें ऐसी रकम संदेय होती है पश्चात् छह मास की समाप्ति तक, इसमें से जो भी अवधि कम हो, उस पर ब्याज उस व्यक्ति को संदेय होगा जिसको ऐसी रकम का संदाय करना है :

परन्तु जहां लेखा अधिकारी उस व्यक्ति को (या उसके अभिकर्ता को) उस तारीख की सूचना देता है जिस तारीख का वह ऐसे व्यक्ति को नकद संदाय करने को तैयार है या उसने संदाय स्वरूप चैक डाक से प्रेषित कर दिया है वहां ब्याज का संदाय केवल इस प्रकार संसूचित तारीख या चैक को डाक से भेजने की तारीख से पूर्ववर्ती मास के समाप्त होने तक ही संदेय होगा।

टिप्पण :—छः मास की अवधि से आगे एक वर्ष की अवधि तक निधि अतिशेष पर ब्याज के संदाय को लेखा अधिकारी अपना व्यक्तिगत रूप से यह समाधान कर लेने पर प्राधिकृत कर सकेगा कि संदाय में विलम्ब ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ था जो अभिदाता के नियंत्रण के बाहर थी और ऐसे प्रत्येक मामले में इस विषय में अन्तर्विष्ट प्रशासनिक विलम्ब के बारे में पूर्ण जांच पड़ताल की जाएगी और यदि कोई कार्रवाई अपेक्षित हो, की जाएगी।

(5) अभिदाता के खाते में ब्याज जमा नहीं किया जाएगा यदि वह लेखा अधिकारी को यह सूचना दे कि वह उसे लेना नहीं चाहता है किन्तु यदि वह बाद में ब्याज की मांग करता है तो वह उस वर्ष की पहली तारीख से जमा किया जाएगा जिसमें वह उसकी मांग करता है।

13. प्रोत्साहन बोनस स्कीम :—(1) ऐसा अभिदाता, जो 1-4-1973 से प्रारम्भ होने वाले पांच वर्षों के दौरान, विनियम 14 के अधीन अग्रिम के रूप में या विनियम 17 के अधीन रकम निकालने के रूप में, निधि में अपने नाम जमा रकम में से कोई धन नहीं निकालता है, उस वर्ष की अन्तिम तारीख को उसके खाते में के सम्पूर्ण अतिशेष पर 1 प्रतिशत की दर से बोनस के लिए हकदार होगा।

(2) वह अतिशेष, जिस पर इस बोनस की संगणना की जानी है, वह अतिशेष है जो पांच वर्षों की अवधि के अन्तिम वर्ष की अन्तिम तारीख को, उक्त अन्तिम वर्ष के लिए ब्याज को जमा करने के पश्चात् हो।

(3) रकम निकालना पद से अभिदेय और अप्रतिदेय, दोनों प्रकार से रकम निकालना अभिप्रेत है। बीमा पालिसी के किस्त पोषण के लिए रकम निकालने से अभिदाता इस फायदे के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(4) इस प्रकार संगणित बोनस निकटतम पूर्ण रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा (50 पैसे को अगले उच्चतर रुपए में संगणित किया जाएगा)। इसे अभिदाता के खातों में निधि-अतिशेष पर ब्याज के अतिरिक्त जमा किया जाएगा।

(5) यहां के सिवाय, जहां विनियम अल्प अवधि के लिए अभिदाय के अस्थायी स्थगन की अनुज्ञा देता हो, उदाहरणार्थ जब कोई छुट्टी पर हो या निलम्बनाधीन हो, बोनस तब अनुज्ञेय होगा जब अभिदाता पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान निधि में अभिदाय करता रहा हो।

(6) बोनस की संगणना के प्रयोजन के लिए वर्ष वित्तीय वर्ष होगा किन्तु यदि अभिदाता किसी वर्ष के मध्य में निधि में सम्मिलित होता है या सेवा छोड़ता है तो निधि में सम्मिलित होने वाले वर्ष और सेवा छोड़ने के वर्ष को पूर्ण वर्ष माना जाएगा।

14. निधि से अग्रिम—(1) समुचित मंजूरीकर्ता प्राधिकारी निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी अभिदाता की तीन मास के वेतन की रकम या निधि में उसके खाते की आधी रकम, जो भी कम हो, से अनधिक रकम के संदाय की मंजूरी दे सकेगा, अर्थात् :—

(क) अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी, प्रसवावस्था या निःशक्तता से संबंधित व्ययों का, जिसके अन्तर्गत, जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, संदाय ;

(ख) अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की उच्चतर शिक्षा के खर्च को, जिसके अन्तर्गत जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, निम्नलिखित मामलों में पूर्ति के लिए अर्थात् :—

(i) हाई स्कूल स्तर से आगे शैक्षिक, तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भारत से बाहर शिक्षा के लिए, और

(ii) हाई स्कूल स्तर से आगे भारत में किसी चिकित्सीय, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञीय पाठ्यक्रम के लिए, परन्तु यह तब जब अध्ययन का पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम के लिए न हो।

(ग) अभिदाता की प्रास्थिति के लिए समुचित मापमान पर ऐसे आवश्यकाकारी व्ययों के संदाय के लिए, जो अभिदाता को किसी रूढ़िगत प्रथा के अनुसार अभिदाता के पुत्र या पुत्री की सगाई, विवाह, अंत्येष्टि या अन्य संस्कारों के संबंध में, जिनके अन्तर्गत जन्म दिन उत्सव भी है, करना पड़े।

(घ) अभिदाता द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किए गए या किए गए तात्पर्यित किसी कार्य की बाबत उसके विरुद्ध लगाए गए किसी आरोप के बारे में अपनी स्थिति को न्यायसंगत ठहराने की दृष्टि से, अभिदाता द्वारा संस्थिति विधिक कार्यवाहियों के खर्च को पूरा करने के लिए; इस मद में अग्रिम ऐसे किसी अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध होगा जो किसी अन्य स्रोत से उसी प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो :

परन्तु इस उपविनियम के अधीन कोई अग्रिम ऐसे अभिदाता को अनुज्ञेय नहीं होगा जो या तो अपने पदीय कर्तव्य से असंबद्ध किसी विषय की बाबत या उस पर अधिरोपित सेवा की किसी शर्त या शास्ति की बाबत बोर्ड के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई विधिक कार्यवाही संस्थित करता है।

(ङ) जहां अभिदाता को किसी न्यायालय में अभियोजित किया जाए या जहां उसकी ओर से किए गए किसी अभिकथित अत्याचार की बाबत किसी जांच में अपनी प्रतिरक्षा के लिए उसने कोई विधि व्यवसायी नियोजित किया हो वहां अभिदाता की प्रतिरक्षा के खर्च को पूरा करने के लिए।

(च) गम्भीर कष्ट के किसी अन्य मामले में अध्यक्ष के विवेक पर।

(छ) अपने निवास के लिए किसी प्लाट या गृह या फ्लैट निर्माण के खर्च को पूरा करने के लिए या राज्य आवास बोर्ड या आवास निर्माण सहकारी सोसाइटी द्वारा प्लाट, गृह या फ्लैट के आबंटन मद्दे कोई संदाय करने के लिए।

टिप्पण :—इस विनियम के अधीन कोई अग्रिम ऐसे किसी व्यक्ति का प्रथम वार्षिक श्राद्ध करने के लिए मंजूर किया जा सकता है जो अपनी मृत्यु के समय अभिदाता के कुटुम्ब का सदस्य था या उस पर आश्रित था।

(2) समुचित मंजूरीकर्ता प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में किसी अभिदाता को अग्रिम मंजूर कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि संबंधित अभिदाता को उपविनियम (1) में व्यक्त कारणों से भिन्न कारणों से अग्रिम की अपेक्षा है।

(3) उपविनियम (1) में अधिकथित सीमा से अधिक या किसी पूर्ववर्ती अग्रिम के अन्तिम किस्त का संदाय किए जाने तक कोई अग्रिम किसी अभिदाता को लेखबद्ध विशेष कारणों से ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

स्पष्टीकरण—1. इस विनियम के प्रयोजन के लिए वेतन के अन्तर्गत महंगाई वेतन भी, जहां अनुज्ञेय हो, आता है।

स्पष्टीकरण—2. इस विनियम के प्रयोजन के लिए समुचित मंजूरीकर्ता प्राधिकारी वह प्राधिकारी होगा जिसे समय-समय पर अग्रिम को मंजूर करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

स्पष्टीकरण—3. अभिदाता को हर छह मासों में एक बार उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन अग्रिम लेने की अनुज्ञा दी जाएगी।

टिप्पण 1. उप-विनियम (3) में विशेष कारण शब्द से यह अभिप्रेत नहीं है कि मंजूरीकर्ता प्राधिकारी उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों के लिए अग्रिम मंजूर कर सकता है। वे उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम दिया जा सकता है उस उपविनियम में वर्णित उद्देश्यों तक सीमित हैं। विशेष कारण ऐसे अग्रिमों की मंजूरी के लिए दिया जाता है जो तीन मास के

वेतन की सामान्य सीमा से अधिक है या अभिदाता के खाते में की आधी रकम से अधिक है और जो पूर्ववर्ती अग्रिम की अन्तिम किस्त के प्रतिसंदाय के पूर्व अग्रिमों के लिए है।

टिप्पण 2. उप-विनियम (3) के अधीन उधार मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी विनियम 16 के अधीन रकम की भागतः अन्तिम निकासी को मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

15. अग्रिमों की वसूली—(1) अभिदाता से किसी अग्रिम की वसूली समान मासिक किस्तों की उतनी संख्या में की जाएगी जितनी अध्यक्ष या अग्रिम की मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निदेश दे किन्तु ऐसी संख्या, जब तक अभिदाता ऐसा चयन न करे, बारह से कम और चौबीस से अधिक नहीं होगी। ऐसे विशेष मामलों में, जहां अग्रिम की रकम विनियम 14 के उप-विनियम (3) के अधीन अभिदाता को संदेय तीन मास के वेतन से अधिक हो वहां अग्रिम मंजूर करने वाला प्राधिकारी ऐसी कोई संख्या नियत कर सकेगा जो 24 से अधिक हो किन्तु 36 से अधिक न हो। अभिदाता, अपने विकल्प पर, किसी मास में एक से अधिक किस्त का प्रतिसंदाय कर सकेगा। प्रत्येक किस्त पूर्ण रुपयों की संख्या में होगी, अग्रिम की रकम, यदि आवश्यक हो ऐसी किस्तों के नियतन के लिए बढ़ाई या घटाई जा सकेगी।

(2) वसूली अभिदायों की वसूली के लिए विनियम (11) में विहित रीति से, की जाएगी, और जिस मास में, उधार लिया गया हो, उसके पश्चात्वर्ती मास के लिए वेतन दिए जाने के साथ-साथ प्रारम्भ होगी। जब अभिदाता निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा हो या किसी कलैण्डर मास में 10 दिन या उससे अधिक के लिए ऐसी छुट्टी पर हो (जिसमें या तो उसे कोई छुट्टी वेतन नहीं मिलता है या आधे वेतन के बराबर या उससे कम छुट्टी वेतन मिलता है) तो वसूली उसकी सम्मति से ही की जाएगी अन्यथा नहीं। अभिदाता के निवेदन पर अध्यक्ष अभिदाता को अनुदत्त अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान अग्रिम की वसूली को स्थगित कर सकता है।

(3) यदि अभिदाता को कोई अग्रिम मंजूर किया गया है और उसने उसे ले लिया है और अग्रिम का प्रतिसंदाय पूर्ण होने के पूर्व उसे बाद में अननुज्ञात कर दिया गया है तो ली गई सम्पूर्ण या अतिशेष रकम अभिदाता द्वारा निधि में तुरन्त प्रतिसंदत्त की जाएगी या इसमें व्यतिक्रम होने पर लेखा अधिकारी यह आदेश करेगा कि उसे अभिदाता की उपलब्धियों में से एकमुश्त या ऐसी मासिक किश्तों में, जो बारह से अधिक नहीं होंगी, जैसा कि अध्यक्ष या विनियम 14 के उप-विनियम (3) के स्पष्टीकरण 2 के अधीन कोई अग्रिम मंजूर करने के लिए सक्षम किसी प्राधिकारी द्वारा निदेश दिया जाए, कटौती करके वसूल करने का आदेश दिया जाएगा।

(4) इस विनियम के अधीन की गई वसूली निधि में अभिदाता के खाते में जमा की जाएगी।

16. अग्रिमों का गलत उपयोग—इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि विनियम 14 के अधीन निधि से अग्रिम के रूप में निकाला गया कोई धन उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया है, जिसके लिए धन के निकालने की मंजूरी दी गई थी, तो प्रश्नगत रकम तुरन्त अभिदाता द्वारा निधि में प्रतिसंदत्त की जाएगी या इसमें व्यतिक्रम होने पर अध्यक्ष द्वारा यह आदेश दिया जाएगा कि इसे अभिदाता की उपलब्धियों में से, उसके छुट्टी पर रहने पर भी, एकमुश्त कटौती करके वसूल किया जाए। यदि प्रतिसंदेय कुल रकम अभिदाता की उपलब्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूली मासिक किस्तों में या उसकी उपलब्धियों के अर्धांश रूप में, जब तक कि सम्पूर्ण रकम उसके द्वारा संदत्त न कर दी जाए, की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस विनियम में "उपलब्धियों" में निर्वाह अनुदान सम्मिलित नहीं है।

17. निधि में से रकम निकालना—नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए रकम की निकासी की मंजूरी, विनियम 16 के उप-विनियम (3) के स्पष्टीकरण 2 के अधीन विशेष कारणों से अग्रिम की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित किसी भी समय—

(1) अभिदाता की बीस वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के पश्चात् (यदि कोई सेवा भंग हो तो उसे भी सम्मिलित करते हुए) या अधिवर्षिता पर उसके सेवा-निवृत्त होने की तारीख से पूर्व दस वर्ष के भीतर, जो भी पूर्ववर्ती हो, निधि में उसके खाते में की रकम को निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए दी जा सकेगी, अर्थात्:—

(क) अभिदाता की या उसकी किसी संतान की उच्चतर शिक्षा के खर्चे की जिसके अन्तर्गत, जहां कहीं आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, निम्नलिखित मामलों में पूर्ति के लिए अर्थात्:—

(1) हाई स्कूल स्तर से आगे शैक्षणिक तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत से बाहर शिक्षा के लिए; और

(2) हाई स्कूल स्तर से आगे भारत में किसी चिकित्सीय इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञीय पाठ्यक्रम के लिए परन्तु यह तब जब कि अध्ययन का पाठ्यक्रम तीन वर्षों से कम के लिए न हो;

(3) भारत में किसी चिकित्सीय, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञीय पाठ्यक्रम के लिए;

टिप्पण—निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को भी उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए तकनीकी। विशेषज्ञीय पाठ्यक्रम माना जाएगा, अर्थात्:—

(1) गृह विज्ञान में डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम;
(2) औषधि में पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रम, यदि यह औषधि में नियमित पांच वर्षीय पाठ्यक्रम का भाग हो;
(3) जब रसायन में पी एच डी;
(4) शारीरिक शिक्षा में बैचलर और मास्टर की उपाधि;
(5) विधि में उपाधि और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
(6) सूक्ष्म जीव विज्ञान में 'आनर्स' पाठ्यक्रम;
(7) लागत और संकर्म लेखा संस्थान की एसोसिएटशिप
(8) चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान की एसोसिएटशिप;
(9) कारबार प्रशासन या प्रबन्ध में उपाधि और मास्टर पाठ्यक्रम;
(10) होटल प्रबन्ध में डिप्लोमा पाठ्यक्रम; और
(11) सांख्यिकी में एम० एस० सी० पाठ्यक्रम।

(ख) अभिदाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों और किसी अन्य स्त्री नातेदार की जो वास्तव में उस पर आश्रित हों, सगाई या विवाह से संबंधित व्ययों को पूरा करना;

(ग) बीमारी के संबंध में व्ययों को पूरा करना, जिसके अन्तर्गत, जहां आवश्यक हो, अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति के यात्रा व्यय भी हैं।

(2) अभिदाता की सेवा के पन्द्रह वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात् या उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख के पूर्व दस वर्ष के भीतर निधि में अभिदाता के खाते में पड़े अभिदायों और उन पर ब्याज में

से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए दी जा सकेगी, अर्थात् :—

(क) अपने निवास के लिए उपयुक्त गृह का निर्माण या पहले से निर्मित फ्लैट पोत करना जिसके अन्तर्गत जमीन की कीमत या इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप में लिए गए उधार मद्दे किसी बकाया रकम का प्रतिसंदाय भी है या पहले से ही अभिदाता के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अर्जित गृह का पुनः निर्माण या उसमें कोई वृद्धि या परिवर्तन करना है ;

(ख) गृह के लिए कोई जमीन खरीदना या इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप में लिए गए किसी उधार मद्दे बकाया किसी रकम का प्रतिसंदाय करना ;

(ग) क्रय की गई किसी जमीन पर गृह का निर्माण करना या खण्ड (क) के अधीन ली गई राशि का उपयोग करने के लिए ;

टिप्पण 1. एक ही प्रयोजन के लिए विनियम 16 के अधीन केवल एक बार रकम निकालने की अनुज्ञा दी जाएगी किन्तु भिन्न-भिन्न संतानों के विवाह या शिक्षा या भिन्न-भिन्न अवसरों पर बीमारी को एक ही प्रयोजन नहीं माना जाएगा ।

टिप्पण 2. विनियम 16 के अधीन रकम निकालने की मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि उसी प्रयोजन के लिए उसी समय विनियम 14 के अधीन किसी अग्रिम की मंजूरी दी जा रही है ।

18. रकम निकालने की शर्तें—(1) अभिदाता द्वारा, निधि में उसके खाते में पड़ी रकम में से विनियम 17 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी समय निकाली गई राशि सामान्यतया ऐसी रकम के आधे से या छह मास के वेतन से, जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी । किन्तु मंजूरीकर्ता प्राधिकारी—

(i) उस उद्देश्य को, जिसके लिए रकम निकाली जा रही है;

(ii) अभिदाता की प्रास्थिति; और

(iii) निधि में उसके खाते की रकम का सम्यक् ध्यान रखते हुए इस सीमा से अधिक रकम जो निधि में उसके खाते में अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकेगी, निकालने की मंजूरी दे सकता है ।

(2) वह अभिदाता, जिसे विनियम 17 के अधीन धन को निकालने की अनुज्ञा दी गई है मंजूरी कर्ता प्राधिकारी का युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यह समाधान करेगा कि धन का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह निकाला गया था और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो इस प्रकार निकाली गई सम्पूर्ण राशि या उसके उतने भाग को, जितनी ऐसे प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह निकाली गई थी उपयोग में नहीं लाई गई है, उस पर विनियम 11 के अधीन अवधारित दर से ब्याज सहित निधि के अभिदाता द्वारा एक मुश्त तुरन्त प्रतिसंदत्त की जाएगी और ऐसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर मंजूरीकर्ता प्राधिकारी यह आदेश देगा कि उसे उसी उपलब्धियों में से एक मुश्त या उतनी मासिक किस्तों में, जो अध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाए, वसूल की जाएं।

(3) वह अभिदाता, जिसे निधि में उसके खाते में पड़ी रकम में से विनियम 17 के उप-विनियम (2) के अधीन धन निकालने की अनुज्ञा दी गई है, इस प्रकार निर्मित या अर्जित गृह या इस प्रकार क्रय किए गए किसी गृह स्थल का कब्जा मंजूरी कर्ता अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना विक्रय (मंजूरीकर्ता अधिकारी को किए गए बंधक से भिन्न) बंधक या दान द्वारा नहीं छोड़ेगा। वह ऐसे गृह या गृह स्थल का कब्जा मंजूरीकर्ता प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, विनियम या पट्टे द्वारा तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं छोड़ेगा। अभिदाता प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर की 31 तारीख तक इस प्रभाव की एक घोषणा करेगा, कि, यथास्थिति, वह गृह या गृह स्थल उसके कब्जे में बना हुआ है या उसे बंधक कर दिया गया है या अन्यथा अन्तरित कर दिया गया है और यदि ऐसा अपेक्षित हो, मूल विक्रय विलेख और अन्य दस्तावेजों, जिस पर उस सम्पत्ति के लिए उसका हक आधारित है, मंजूरीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष, इस निमित्त उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व पेश करेगा ।

(4) यदि सेवा निवृत्ति के पूर्व किसी समय, अभिदाता मंजूरीकर्ता प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना गृह या गृह स्थल का कब्जा छोड़ देता है तो उसके द्वारा निकाली गई रकम उसके द्वारा निधि में एक मुश्त तुरन्त प्रतिसंदत्त की जाएगी और ऐसा प्रतिसंदाय न किए जाने पर मंजूरी कर्ता प्राधिकारी द्वारा यह आदेश दिया जाएगा कि उसके उसकी उपलब्धियों में से या तो एक मुश्त या उतनी मासिक किस्तों में जितनी बोर्ड के द्वारा अवधारित की जाए, वसूल कर लिया जाए।

19. अग्रिम की रकम का निकासी में संपरिवर्तन—कोई अभिदाता, जिसने विनियम 17 के उप-विनियम 1 के उपखण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए विनियम 14 के अधीन कोई अग्रिम लिया है या जो भविष्य में ले, स्वविकानुसार मंजूरीकर्ता प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को भेजे गए लिखित अनुरोध द्वारा अपने प्रति बकाया अतिशेष को अन्तिम रूप से रकम की निकासी में संपरिवर्तित कर सकता है यदि वह विनिमय 17 और 18 में अधिकथित शर्तों को पूरा करता है।

20. बीमा पालिसियों और कुटुम्ब पेंशन निधियों मद्दे संदाय—ऐसा अभिदाता, जो 17 दिसम्बर, 1960 के पूर्व, जीवन बीमा पालिसी के मद्दे संदायों को अभिदायों के स्थान पर पूर्णतः या भागतः प्रतिस्थापित करता रहा है या साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के नियम 17 से 29 तक के उपबन्धों के अधीन निधि से ऐसे संदायों के लिए रकम निकालता रहा है, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, उन्हीं निबन्धनों और शर्तों के अधीन उस सुविधा का लाभ उठाता रहेगा :

परन्तु ऐसे अभिदाताओं को नई पालिसियों की बाबत ऐसे संदायों को निधि में देय अभिदायों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने की या ऐसे संदाय करने के लिए निधि से रकम निकालने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी :

परन्तु यह और कि उक्त नियमों के उपबंधों के अधीन भारत के राष्ट्रपति को समनुदिष्ट कोई पालिसी, इन विनियमों के प्रारम्भ पर बोर्ड को समनुदिष्ट पालिसी मानी जाएगी। अभिदाता ऐसी पालिसियों को बोर्ड को समनुदिष्ट किए जाने के लिए तुरन्त कार्रवाई करेगा।

21. निधि में के संचय को अन्तिम रूप से निकालना—(i) जब कोई अभिदाता सेवा छोड़ देता है तब निधि में उसके खाते में जमा रकम उसे संदेय हो जाएगी ।

परन्तु ऐसा अभिदाता, जिसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और बाद में सेवा में पुनः स्थापित कर लिया गया है, यदि बोर्ड उससे ऐसा करने की अपेक्षा करे, इस विनियम के अनुसरण में निधि से उसे संदत्त कोई रकम, उस पर विनियम 12 में उपबन्धित दर से ब्याज सहित, विनियम 22 के परन्तुक में उपबन्धित रीति से प्रतिसंदत्त करेगा। इस प्रकार प्रतिसंदत्त रकम निधि में उसके खाते में जमा की जाएगी ।

स्पष्टीकरण 1—जिस अभिदाता को अभ्यर्जित छुट्टी अनुदत्त की गई है उसके बारे में यह माना जाएगा कि उसने अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से या सेवा वृद्धि की अवधि की समाप्ति पर सेवा छोड़ दी है ।

स्पष्टीकरण 2—ऐसे अभिदाता से भिन्न अभिदाता की बाबत, जिसे संविदा पर नियुक्त किया गया है या जिसे सेवा निवृत्त हो जाने के

पश्चात सेवा भंग सहित या रहित, पुनः नियोजित किया गया है, यह नहीं माना जाएगा कि उसने सेवा छोड़ दी है यदि उसे कोई सेवा भंग किए बिना, और उसके पूर्ववर्ती पद पर उसका कोई संबंध रखे बिना किसी अन्य महापत्तन प्राधिकरण के अधीन (जिसमें वह भविष्य निधि नियमों के किसी अन्य संवर्ग से शासित होता है) नए पद पर अन्तरित कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में उसके अभिदाय, उस पर ब्याज सहित, अन्य निधि में उसके खाते में उस निधि के नियमों के अनुसार अन्तरित कर दिए जाएंगे। बोर्ड के अधीन या किसी अन्य पत्तन प्राधिकरण के अधीन सीधे नियोजन के लिए छंटनी के मामलों में भी यही बात लागू होगी।

स्पष्टीकरण 3—जहां ऐसे अभिदाता से भिन्न किसी अभिदाता को, जिसे संविदा पर नियुक्त किया जाता है या जिसे सेवा निवृत्त हो जाने के पश्चात् पुनः नियोजित किया गया है, सेवा भंग किए बिना, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय के अधीन सेवा में अन्तरित कर दिया जाता है वहां अभिदाय की रकम, उस पर ब्याज सहित, उसे संदत्त नहीं की जाएगी किन्तु उस निकाय की सम्मति से उस निकाय के अधीन उसके नए भविष्य निधि खाते में अन्तरित कर दी जाएगी।

(2) अन्तरण के अन्तर्गत सेवा से पदत्याग के ऐसे मामले भी हैं जहां पदत्याग सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वायत्त संगठन के अधीन नियुक्ति के लिए सेवा भंग के बिना और बोर्ड की उचित अनुज्ञा से किया जाए। नए पद पर कार्य ग्रहण करने के लिए लिया गया समय सेवा में भंग नहीं माना जाएगा यदि वह एक पद से किसी अन्य पद पर हुए अन्तरण पर कर्मचारी को अनुज्ञेय कार्य ग्रहण समय से अधिक न हो:

परन्तु पब्लिक उपक्रमों के अधीन सेवा के लिए विकल्प देने वाले अभिदाता के, अभिदायों की रकम को, उन पर ब्याज सहित, अन्तरण यदि वह ऐसा चाहे, उपक्रम के अधीन उसके नए भविष्य निधि खाते में अन्तरित कर दिया जाएगा, यदि संबंधित उपक्रम भी ऐसे अन्तरण के लिए सहमत हों। किन्तु यदि अभिदाता अन्तरण नहीं चाहता है या संबंधित उपक्रम पूर्वोक्त भविष्य निधि लागू नहीं करता है तो पूर्वोक्त रकम अभिदाता को वापस कर दी जाएगी।

22. अभिदाता की सेवा निवृत्ति—जब कोई अभिदाता सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर भेजा गया है या जिसे छुट्टी पर रहते हुए सेवा नियुक्त होने की अनुज्ञा दे दी गई है या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तब निधि में उसके खाते में जमा रकम लेखा अधिकारी को इस निमित्त उसके द्वारा आवेदन दिए जाने पर अभिदाता को संदेय हो जाएगी।

परन्तु यदि अभिदाता कर्तव्य पर वापस आ जाता है तो वह, वहां के सिवाय जहां बोर्ड अन्यथा विनिश्चित करे, इस विनियम के अनुसरण में निधि में से उसे संदत्त सम्पूर्ण रकम या उसका कोई भाग, उस पर विनियम 12 में उपबन्धित दर से ब्याज सहित, नकदी में या प्रतिभूतियों में या भागतः नकदी में और भागतः प्रतिभूतियों में, किस्तों द्वारा या अन्यथा, उसकी उपलब्धियों में से या अन्यथा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया जाए, वसूल करके उसके खाते में जमा किए जाने के लिए निधि में प्रतिसंदत्त करेगा।

23. अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया—अभिदाता की, उसके खाते में की रकम के संदेय होने के पूर्व या जहां रकम संदेय हो गई हो वहां उसका संदाय कर दिए जाने के पूर्व, मृत्यु हो जाने पर—

(1) जब अभिदाता का कोई कुटुम्ब हो:—

(क) यदि विनियम 6 या पूर्व प्रवृत्त तत्स्थानीय विनियम के उपबन्धों के अनुसार अभिदाता द्वारा उसके कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया कोई नामनिर्देशन विद्यमान हो तो निधि में उसके खाते में पड़ी रकम या उसका कोई भाग, जिससे नाम निर्देशन का संबंध है, उसके नामनिर्देशिती या नाम निर्देशितियों को नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेय हो जाएगी।

(ख) यदि अभिदाता के कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ऐसा नामनिर्देशन विद्यमान न हो या ऐसे नाम निर्देशन का संबंध निधि में उसके खाते में की रकम के केवल किसी एक भाग से हो तो, यथास्थिति, सम्पूर्ण रकम या उसका कोई भाग, जिससे नाम निर्देशन का कोई संबंध नहीं है, उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में तात्पर्यित किसी नाम निर्देशन के होते हुए भी, उसके कुटुम्ब के सदस्यों के समान अंशों में संदेय हो जाएगी:

परन्तु यदि खण्ड (1), (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट से भिन्न उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य हो तो:—

(1) पुत्रों को, जो वयस्क हो गए हों;

(2) मृतक पुत्र के पुत्रों को, जो वयस्क हो गए हों;

(3) विवाहित पुत्रियों को, जिनके पति जीवित हैं;

(4) मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियों को जिनके पति जीवित हैं,

कोई अंश संदेय नहीं होगा:

परन्तु यह और कि मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं, संतान या संतानें, अपने मध्य केवल उस अंश का बराबर-बराबर भाग प्राप्त करेंगे जो अंश उस पुत्र ने तब प्राप्त किया होता यदि वह अभिदाता का उत्तरजीवी होता और उसे प्रथम परन्तुक के खण्ड (1) उपबन्धों से छूट प्राप्त होती।

(ii) जब अभिदाता का कोई कुटुम्ब न हो—

यदि विनियम 6 या पूर्व प्रवृत्त तत्स्थानी नियम के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई नामनिर्देशन किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में विद्यमान हो तो निधि में उसके खाते में जमा रकम या उसका कोई भाग, जिससे नामनिर्देशन का संबंध है, उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को नामनिर्देशन के विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेय हो जाएगी।

टिप्पण:—हिन्दू विधवा/विधुर विधिक नामनिर्देशिती है और मृतक पति/पत्नी के भविष्य निधि धन को उसकी ओर से प्राप्त करने के लिए उसे हकदार बनाने के लिए न्यायालय का आदेश आवश्यक नहीं है।

24. निधि में की रकम का संदाय करने की रीति—(1) जब निधि में अभिदाता के खाते में जमा रकम संदेय हो जाती है तब लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य हो जाएगा कि वह उस नियम (3) में उपबन्धित रीति से इस निमित्त लिखित आवेदन प्राप्त होने पर, उसका संदाय करे।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसे इन विनियमों के अधीन कोई रकम या पालिसी संदत्त, समनुदिष्ट, पुनः समनुदिष्ट प्रतिदत्त की जानी है, ऐसा पालग है, जिसकी संपदा के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन इस निमित्त किसी प्रबन्धक की नियुक्ति की गई है, तो संदाय या पुनः समनुदेशन या परिदान ऐसे प्रबन्धक को किया जाएगा, पालग को नहीं किया जाएगा:

परन्तु जहां किसी प्रबन्धक की नियुक्ति नहीं हुई है और उस व्यक्ति को, जिसे राशि संदेय है, किसी मजिस्ट्रेट ने पागल प्रमाणित किया है, वहां कलक्टर के आदेश के अधीन संदाय, भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की धारा 95 की उपधारा (i) के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा जिसके भारसाधन में ऐसा पागल हो और लेखा अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसके भारसाधन

में पागल हो, केवल उतनी रकम देगा जो वह ठीक समझे और यदि कोई अतिशेष हो तो उसे या उसके किसी भाग को, जैसा वह ठीक समझे, पागल के कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के भरण-पोषण के लिए, संदत्त किया जाएगा जो भरण-पोषण के लिए उस पर आश्रित हैं।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस विनियम के अधीन संदाय का दावा करना चाहता है, लेखा अधिकारी को इस निमित्त एक लिखित आवेदन भेजेगा। निकाली गई रकमों का संदाय केवल भारत में किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को रकमें संदेय हैं, वे भारत में संदाय प्राप्त करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे।

(4) (i) अभिदाता, अधिवर्षिता की तारीख या अपने सेवा निवृत्ति की प्रत्याशित तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व, निधि में से रकम के संदाय के लिए विभाग के प्रधान के माध्यम से लेखा अधिकारी को एक आवेदन दे सकेगा। आवेदन निधि में उसके खाते में जमा ऐसी रकम के लिए होगा जो उसकी अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति की प्रत्याशित तारीख के एक वर्ष पूर्व समाप्त होने वाले वर्ष के लेखा विवरण में दर्शित हो;

(ii) विभाग का प्रधान आवेदन को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करेगा और उसमें लिए गए अग्रिमों को और ऐसे अग्रिमों के लिए, जो अभी चालू हों, की गई वसूलियों की और ऐसी किस्तों की संख्या को जो प्रत्येक अग्रिम की बाबत अभी वसूल की जाने वाली हो उपदर्शित करेगा और अभिदाता द्वारा निकाली गई रकम भी, यदि कोई हो, दर्शित करेगा।

(iii) लेखा अधिकारी खाता लेखा से सत्यापन करने के पश्चात्, आवेदन में उपदर्शित रकम के लिए एक प्राधिकार, अधिवर्षिता या सेवा-निवृत्ति की तारीख से कम से कम एक मास पूर्व जारी करेगा किन्तु वह अधिवर्षिता की तारीख को संदेय होगा।

(iv) खण्ड (iii) में वर्णित प्राधिकार संदाय की प्रथम किश्त का गठन करता है। संदाय का द्वितीय प्राधिकार अधिवर्षिता या सेवा-निवृत्ति के पश्चात् यथासंभव शीघ्र जारी किया जाएगा। इसका संबंध खण्ड (1) के अधीन दिए गए आवेदन में वर्णित रकम के पश्चात् अभिदाता द्वारा किए गए अभिदायों से और उन अग्रिमों के प्रति किस्तों के, जो प्रथम आवेदन के समय चालू थीं, प्रतिदाय से होगा।

(v) अन्तिम रूप से संदाय किए जाने के लिए आवेदनों को लेखा अधिकारी को भेजने के पश्चात् मंजूर किए गए अग्रिम। रकम निकालने की सूचना तुरन्त लेखा अधिकारी को दी जाएगी और मंजूरीकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसकी अभिस्वीकृति अभिप्राप्त की जाएगी।

25. एक महापत्तन से दूसरे महापत्तन में किसी कर्मचारी के अन्तरण पर प्रक्रिया—यदि कोई कर्मचारी, जो निधि में अभिदाता है, किसी पेंशन वाली सेवा में किसी अन्य महापत्तन में अन्तरित किया जाता है, जिसमें वह इन विनियमों के समरूप विनियमों द्वारा शासित होता है, तो अन्तरण की तारीख को निधि में उसके खाते में की अभिदायों की रकम, उन पर ब्याज सहित, ऐसे महापत्तन की निधि में उसके खाते में अन्तरित कर दी जाएगी :

परन्तु जहां नियमों में ऐसा अपेक्षित हो संबंधित महापत्तन प्राधिकरण की सम्मति अभिप्राप्त की जाएगी।

26. रकम का अंशदायी भविष्य निधि में अन्तरण—यदि किसी अभिदाता को बाद में बोर्ड के अधीन अंशदायी भविष्य निधि का फायदा दिया जाता है तो निधि में उसके अभिदायों की रकम, उन पर ब्याज सहित, अंशदायी भविष्य निधि में उसके खाते में अन्तरित कर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण:—इन विनियमों के उपबन्ध ऐसे अभिदाता को लागू नहीं होंगे जिसे संविदा पर नियुक्त किया गया है या जो सेवा निवृत्त हो गया है और जिसे बाद में, सेवा में भंग सहित या रहित किसी अन्य ऐसे पद पर पुनः नियोजित किया गया है जिस पर अंशदायी भविष्य निधि की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

27. व्यष्टिक मामलों में उपबन्धों का शिथिल किया जाना और विनियमन—जब बोर्ड का यह समाधान हो जाए कि इन विनियमों में से किसी के प्रवर्तन से अभिदाता को असम्यक् कठिनाई हो रही है या होने की संभावना है तो बोर्ड इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभिदाता के मामले में ऐसी रीति से कार्रवाई करेगा जो उसे न्यायोचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हो।

28. अभिदायों के संदाय के समय खाते की संख्या का बताया जाना—उपलब्धियों में से कटौती कर के या नकदी में अभिदायों का भारत में संदाय करते समय कोई अभिदाता निधि में अपने खाते की वह संख्या बताएगा जो उसे लेखा अधिकारी द्वारा संसूचित की जाएगी। संख्या में कोई परिवर्तन लेखा अधिकारी द्वारा अभिदाता को उसी प्रकार संसूचित किया जाएगा।

29. अभिदाता को लेखे का वार्षिक विवरण दिया जाना—(1) प्रत्येक वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र लेखा अधिकारी प्रत्येक अभिदाता की निधि में उसके खाते में पड़ी रकम का एक विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष के 1 अप्रैल को उसका आरम्भिक अतिशेष, वर्ष की 31 मार्च तक जमा की गई कुल रकम और उस तारीख को अन्तिम अतिशेष दर्शित करेगा। लेखा अधिकारी खाते के विवरण के साथ यह जांच संलग्न करेगा कि अभिदाता—

(क) विनियम 6 के अधीन या पहले प्रवृत्त तत्स्थानी विनियम के अधीन किए गए नामनिर्देशन में कोई परिवर्तन करना चाहता है या नहीं;

(ख) ऐसे मामले में, जहां अभिदाता ने विनियम 6 के अधीन अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के पक्ष में नामनिर्देशन नहीं किया है, उसका कुटुम्ब हो गया है या नहीं।

(2) अभिदाता वार्षिक विवरण की शुद्धता के बारे में अपना समाधान करेगा और ऐसे विवरण में की किसी अशुद्धता या गलती को अपने द्वारा विवरण के प्राप्त करने की तारीख से तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी की जानकारी में लाएगा।

(3) लेखा अधिकारी, यदि अभिदाता द्वारा अपेक्षा की जाए, एक वर्ष में एक बार, किन्तु एक बार से अधिक नहीं, अभिदाता को उस मास के अन्त में, जिसके लिए उसका लेखा लिखा जा चुका है, निधि में उसके खाते में जमा कुल रकम की जानकारी देगा।

30. निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम—अभिदाता की मृत्यु पर अभिदाता के खाते में जमा रकम को प्राप्त करने के लिए हकदार किसी व्यक्ति को लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी अतिरिक्त रकम, जो ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्व के तीन वर्षों के दौरान खाते में जमा औसत अतिशेष के बराबर हो इन शर्तों के अधीन रहते हुए संदत्त की जाएगी कि :

(क) ऐसे अभिदाता के खाते में का अतिशेष मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित सीमा से कम न हो—

(i) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्षों की पूर्वोक्त अवधि के अधिकतर भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 1,300 रु० या अधिक हो, 4000 रुपए;

(ii) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्षों की पूर्वोक्त अवधि के अधिकतर भाग में ऐसा पद धारण किया है है जिसका अधिकतम वेतनमान 900 रुपए या अधिक हो किन्तु 1,300 रुपए से कम हो, 2,500 रुपए;

(iii) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्षों की पूर्वोक्त अवधि के अधिकतर भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 290 रुपए या उससे अधिक हो किन्तु 900 रुपए से कम हो, 1,500 रुपए,

(iv) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्षों की पूर्वोक्त अवधि के अधिकर भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसका अधिकतम वेतनमान 290 रुपए से कम हो, 1,000 रु०।

(ख) इस नियम के अधीन संदेय अतिरिक्त रकम 10,000 रुपए से अधिक नहीं होगी ;

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो जिसके अन्तर्गत पत्तन न्यास के बनाए जाने के पूर्व पी० एन० टी० में की गई सेवा भी है।

टिप्पण 1 —औसत अतिशेष उस मास के, जिसमें मृत्यु हुई हो, पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मासों की समाप्ति पर अभिदाता के खाते में के अतिशेष के आधार पर निकाला जाएगा। इस प्रयोजन के लिए तथा ऊपर विनिर्दिष्ट न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के लिए—

(क) मार्च के अन्त के अतिशेष में नियम 11 के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी सम्मिलित है; और

(ख) यदि पूर्वोक्त 36 मास का अन्तिम मास मार्च नहीं है तो उक्त अन्तिम मास के अन्त के अतिशेष में, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें मृत्यु होती है, प्रारम्भ से उक्त अन्तिम मास की समाप्ति तक की अवधि की बाबत ब्याज सम्मिलित होगा।

टिप्पण 2—इस विनियम के अधीन संदाय सम्पूर्ण रुपयों में किया जाएगा। यदि किसी देय रकम में रुपए का कोई भाग सम्मिलित है तो उसे निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा (पचास पैसे की गणना अगले उच्चतर रुपए के रूप में की जाएगी)।

टिप्पण 3 —इस स्कीम के अधीन संदेय कोई राशि बीमा उनकी प्रकृति की है अतः भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19) की धारा 3 द्वारा दिया गया कानूनी संरक्षण इस स्कीम के अधीन संदेय राशियों को लागू नहीं होता है।

टिप्पण 4 —आवधिक आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के मामले में और पुनः नियोजित पेंशन भोगियों के मामले में, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या पुनः नियोजन की तारीख से की गई सेवा ही इस नियम के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ग) यह स्कीम संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होती है।

31. निर्वचन— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

सूतीकोरिन पत्तन में अनिवार्य अभिदाताओं की भविष्य निधि लेखा के आवंटन के लिए विशिष्टियों का विवरण

.....का कार्यालय

लेखा शीर्ष जिसमे वेतन और भत्ता विकलित किया जाता है

..... निधि का नाम .....

प्ररूप I

[विनियम 4(6) देखें]

क्र० सं०	अभिदाता का नाम	अभिदाता के पिता/पति का नाम	अभिदाता की जन्म की तारीख	सेवा में प्रवेश की तारीख	पदाभिधान
1	2	3	4	5	6

उपलब्धियां	अभिदाय की मासिक दर (पूर्ण रु० में)	वह मास जिस से अभिदाय प्रारम्भ होगा	टिप्पणियां	लेखा विभाग द्वारा भरा जाना है आवंटित लेखा संख्यांक
7	8	9	10	11

कार्यालय का प्रधान ..... खाता सं० ..... आवंटित करने के पश्चात् वापस किया गया।

तारीख———————

वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी

प्ररूप II

[विनियम 6 देखें]

नामनिर्देशन का प्ररूप

जब अभिदाता का कुटुम्ब हो और वह उसके एक सदस्य को नामनिर्देशित करना चाहता हो

मैं, निधि में मेरे खाते में जमा रकम के संदेय होने के पूर्व या ऐसी दशा में जब वह संदेय हो गई हो पर संदत्त न की गई हो, मेरी मृत्यु हो जाने पर उक्त रकम को प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्ति को, जो तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1978 के विनियम 2(4) में यथापरिभाषित मेरे कुटुम्ब का सदस्य है, नामनिर्दिष्ट करता हूं।

नामनिर्देशिती का नाम और नातेदारी पता	अभिदाता से आयु	ऐसी आकस्मिकताएं जिनके होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम, पते और नातेदारी जिन्हें नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रमित हो जाएगा जब उस की मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए
1	2	3	4	5

..... तारीख ..... 19 .... के .... का ....

दिन .....

स्थान .....

हस्ताक्षर करने वाले के दो साक्षी

1. ———————

3. ———————

अभिदाता के हस्ताक्षर

प्ररूप-III

[विनियम 6 देखें]

नामनिर्देशन का प्ररूप

जब अभिदाता का कुटुम्ब हो और वह उसके एक से अधिक सदस्य को नामनिर्देशित करना चाहता हो

मैं, निधि में मेरे खाते में जमा रकम के संदेय होने के पूर्व या उस दशा में, जब वह संदेय हो गई हो पर संदत्त न की गई हो, मेरी मृत्यु हो जाने पर उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्तियों को, जो तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (साधारण भविष्य निधि) विनियम, 1979 के विनियम 2(ङ) में यथापरिभाषित मेरे कुटुम्ब के सदस्य हैं और यह निदेश देता हूं कि उक्त रकम उक्त व्यक्तियों के बीच उनके नामों के सामने दर्शित रीति में वितरित की जाएगी।

नामनिर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता से नातेदारी	आयु	संचयों की रकम या अंश प्रत्येक को संदत्त किया जाना है	ऐसी आकस्मिकताएं जिनके होने पर नामनिर्देशन अधिविधिमान्य हो जाएगा।	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के यदि कोई हों, नाम, पते और नातेदारी जिन्हें नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रमित हो जाएगा जब उनकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए
1	2	3	4	5	6

तारीख ..... 19..... के ..... का ..... दिन

स्थान .....

हस्ताक्षर करने वाले दो साक्षी :

1. .....

2. .....

अभिदाता के हस्ताक्षर

टिप्पण :— यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाएगा जिससे उसके अन्तर्गत वह सम्पूर्ण रकम आ जाए जो निधि में अभिदाता के खाते में किसी भी समय जमा हो।

प्ररूप-IV

[विनियम 6 देखें]

जब अभिदाता का कोई कुटुम्ब न हो और वह किसी एक व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करना चाहता हो

मैं, जिसका तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (साधारण भविष्य निधि) विनियम, 1979 के विनियम 2(ङ) में यथापरिभाषित कोई कुटुम्ब नहीं है, निधि में मेरे खाते में जमा रकम के संदेय हो जाने के पूर्व या ऐसी दशा में जब वह संदेय हो गई हो, किन्तु संदत्त न की गई हो मेरी मृत्यु हो जाने पर उक्त रकम को प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करता हूं :

नामनिर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	आकस्मिकताएं ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के, यदि कोई हों, नाम, पते और नातेदारी जिन्हें नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रमित हो जाएगा जब उनकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए
1	2	3	4	5

तारीख ..... 19..... के ..... का ..... दिन

हस्ताक्षर करने वाले दो साक्षी :

1. .....

2. .....

अभिदाता के हस्ताक्षर

टिप्पण जहां ऐसा कोई अभिदाता, जिसका कोई कुटुम्ब न हो, कोई नामनिर्देशन करता है वहां वह इस स्तंभ में यह विनिर्दिष्ट करेगा कि बाद में उसका कुटुम्ब हो जाने पर नामनिर्देशन अधिविधिमान्य हो जाएगा।

प्ररूप-V

[विनियम 6 देखें]

जब अभिदाता का कोई कुटुम्ब न हो और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करना चाहता हो

मैं, जिसका तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (साधारण भविष्य निधि) विनियम, 1979 के विनियम 2(ङ) में यथा-परिभाषित कोई कुटुम्ब नहीं है, निधि में मेरे खाते में जमा रकम के संदेय हो जाने से पूर्व या ऐसी दशा में जब वह संदेय हो गई हो किन्तु संदत्त न की गई हो, मेरी मृत्यु हो जाने पर उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करता हूं :

नामनिर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता के साथ उसकी नातेदारी	आयु	संचयों की रकम या अंश जो प्रत्येक को संदत्त किया जाएगा	ऐसी आकस्मिकताएं जिनके होने पर नामनिर्देशन अधिविधिमान्य हो जाएगा	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों यदि कोई हों, के नाम, पते और नातेदारी जिन्हें नामनिर्देशन का अधिकार उस दशा में संक्रांत हो जाएगा जब उनकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए
1	2	3	4	5	6

तारीख ..... 19..... के ..... का ..... दिन

हस्ताक्षर करने वाले दो साक्षी :

1. .....

2. .....

अभिदाता के हस्ताक्षर

टिप्पण : इस स्तम्भ को इस प्रकार भरा जाना चाहिए जिससे उसके अन्तर्गत ऐसी सम्पूर्ण रकम आ जाए जो निधि में अभिदाता के खाते में किसी भी समय जमा हो।

†टिप्पण — जहां ऐसा कोई अभिदाता जिसका कोई कुटुम्ब नहीं है कोई नामनिर्देशन करता है वहां वह इस स्तम्भ में यह विनिर्दिष्ट करेगा कि बाद में उसका कुटुम्ब हो जाने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा ।

प्ररूप VI

भविष्य निधि से अग्रिम के लिए आवेदन का प्ररूप

तूतीकोरिन पत्तन ..... (यहां निधि का नाम लिखें)

से अग्रिम के लिए आवेदन

1. अभिदाता का नाम
2. लेखा संख्या (विभागीय प्रत्यय के साथ)
3. पदाभिधान
4. वेतन
5. आवेदन की तारीख को अभिदाता के खाते में अतिशेष निम्न प्रकार है :
   (i) वर्ष के विवरण के अनुसार अन्तिम अतिशेष .....
   (ii) तारीख ..... से ..... तक जमा, अभिदाय .....
   (iii) वापस की गई रकम
   (iv) तारीख ..... से ..... तक की अवधि के दौरान निकाली गई रकम
   (v) खाते में जमा शुद्ध अतिशेष ।
6. यदि कोई अग्रिम बकाया है तो उसकी बकाया रकम तथा वह प्रयोजन जिसके लिए वह ली गई है ।
7. कितना अग्रिम चाहते हैं ।
8. (क) अग्रिम लेने के प्रयोजन क्या है ।
   (ख) अग्रिम का अनुरोध किन नियमों के अन्तर्गत किया है ।
9. समेकित अग्रिम की रकम (मद 6 और 7) द्वारा उक्त समेकित अग्रिम की रकम कितने मासिक किस्तों में लिए जाने का प्रस्ताव है ।
10. अभिदाता की आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण जिसमें अग्रिम के लिए आवेदन किए जाने का औचित्य बताया जाए ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम
पदनाम
अनुभाग/शाखा

प्ररूप VII

भविष्य निधि से अग्रिम की मंजूरी के लिए प्ररूप

तूतीकोरिन पत्तन .....

आदेश

मंजूरी .....

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को ..... पर व्ययों को चुकाने हेतु उसे समर्थ बनाने के लिए सा० म० नि०/अ० भा० सि०/लेखा सं० ..... से ..... रु० (केवल ..... रुपए) के अग्रिम के अनुदान के लिए ..... के ..... नियम के अधीन मंजूरी दी जाती है ।

2. अग्रिम की वसूली ..... में संदेय ..... मास के वेतन से प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक ..... राशि की ..... मासिक किस्तों में की जाएगी ।

3. ..... में मंजूर की गई और ..... में उसे संदत्त ..... रु० के अग्रिम में से ..... रु० (केवल ..... रुपयों) की राशि नीचे विनिर्दिष्ट समेकित रकम की वसूली के प्रारम्भ तक बकाया रहेगी । यह रकम अब मंजूरी किए गए अग्रिम के साथ, जिसका योग ..... रुपये है ..... में संदेय ..... मास के वेतन से प्रारम्भ हो कर, प्रत्येक ..... रु० की ..... मासिक किस्तों में वसूल की जाएगी ।

4. तारीख ..... को ..... के खाते में अतिशेष का विवरण नीचे दिया गया है ।
   (i) वर्ष के लिए लेखा पर्चों के अनुसार अतिशेष ..... रु० .....
   (ii) तारीख ..... से ..... तक प्रतिमास ..... की दर पर निक्षेप और अग्रिम की वापसी ..... रु०
   (iii) स्तम्भ (i) और (ii) का योग ..... रु०
   (iv) पश्चावर्ती निकासी, यदि कोई हो ..... रु०
   (v) मंजूरी की तारीख को अतिशेष (स्तम्भ 3 और (4) ..... रु०

मंजूरी करने वाला प्राधिकारी

प्ररूप VIII

भविष्य निधि से रकम निकालने के आवेदन का

प्ररूप

तूतीकोरिन पत्तन .....

..... (यहां निधि का नाम लिखें) से रकम निकालने का आवेदन ।

1. अभिदाता का नाम
2. लेखा संख्या (विभागीय प्रत्यय के साथ)
3. पदाभिधान
4. वेतन
5. सेवा में सम्मिलित होने की तारीख और अधिवर्षिता की तारीख
6. आवेदन की तारीख को अभिदाता के खाते में अतिशेष निम्न प्रकार है :
   (i) वर्ष की विवरणी के अनुसार अन्तिम अतिशेष .....
   (ii) मासिक अभिदायों मद तारीख ..... से ..... तक जमा .....
   (iii) उपरोक्त (1) के अनुसार अन्तिम अतिशेष के पश्चात निधि में किए गए अभिदाय
   (iv) तारीख ..... से ..... तक की अवधि के दौरान निकाली गई रकम
   (v) आवेदन की तारीख को खाते में शुद्ध अतिशेष
7. कितनी रकम निकालना चाहते हैं
8. (क) रकम निकालने के प्रयोजन क्या हैं
   (ख) अनुरोध किन नियमों के अन्तर्गत आता है ।
9. क्या उसी प्रयोजन के लिए पहले कोई रकम निकाली गई थी यदि ऐसा है, तो उसकी मात्रा और वर्ष दर्शित करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर
पदाभिधान
अनुभाग/शाखा

तारीख .....

प्ररूप IX

भविष्य निधि से रकम निकालने की मंजूरी के लिए

प्ररूप

तूतीकोरिन पत्तन.....

सेवा में

जिलीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी,

तूतीकोरिन पत्तन,

तूतीकोरिन—4

महोदय,

विषय—श्री.....के.....(यहां निधि का नाम लिखें) से रकम का निकाला जाना।

मुझे श्री..... (यहां नाम और पदाभिधान लिखें) द्वारा उनकी निधि लेखा सख्या.....(विभागीय प्रत्यय सहित) से, व्ययों को पूरा करने में उसे समर्थ बनाने के लिए..... रु० (केवल..... रु०) की रकम निकाले जाने के लिए..... नियम के नियम.....के अधीन.....की मंजूरी को सूचित करने का निदेश हुआ है।

2. निकाली जाने वाली रकम श्री..... के छह मास के वेतन से या.....निधि लेखा में उसकी जमा/अंशिदाय की रकम के आधे से अधिक नहीं है। उसका आधारिक वेतन (जैसा कि मूल नियम में परिभाषित है).....रु० है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....ने जो अधिवर्षिता पर सेवा से निवृत्त होने के दस वर्ष के भीतर है,.....अपनी सरकारी सेवा के बीस/पच्चीस वर्ष पूरे कर लिये हैं।

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि गृह निर्माण के प्रयोजनों के लिए श्री.....द्वारा सभी स्रोतों से ली गई कुल रकम 1,00,000 रुपए या उसके 75 मासों के वेतन से, जो भी कम हो, अधिक नहीं है।

5. तारीख.....को श्री.....के खाते में अतिशेष का विवरण निम्न प्रकार है :—

(i) वर्ष के लिए लेखा पर्ची के अनुसार अतिशेष रु०.....

(ii) तारीख.....से.....तक प्रतिमास की दर से पश्चात्वर्ती निक्षेप और उधार का प्रतिदाय रु०.....

(iii) स्तम्भ (i) और (ii) का योग रु०.....

(iv) पश्चात्वर्ती रकम-निकासी, यदि कोई हो रु०.....

(v) मंजूरी की तारीख को अतिशेष स्तम्भ (iii) और (iv) रु०.....

6. श्री.....को अन्तिम बार इस अधिकारी द्वारा.....वर्ष के लिए लेखा विवरण के पश्चात्.....के अनुसार.....रुपए की रकम के लिए भागतः अन्तिम रूप से रकम की निकासी की मंजूरी दी गई थी (यह समझा जाता है कि श्री.....को (उसके कथनानुसार) अन्तिम बार.....द्वारा.....रुपए की भागतः अन्तिम रूप से रकम निकासी की मंजूरी दी गई है।

आपका विश्वसनीय

(_____)

प्रति निम्नलिखित को भेजी गई :

(1)

(2) श्री..... । उसका ध्यान सा० भ० नि० (के० स०) अ० भ० नि० के नियम.....के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार ऐसे अभिदाता को, जिसे निधि से रकम निकालने की अनुज्ञा दी गई हो मंजूरी करने वाले प्राधिकारी का यह समाधान करना चाहिए कि धन का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह निकाला गया था। अतः धन के निकाले जाने के..... मासों के भीतर इस प्रभाव का एक, प्रमाणपत्र, कि ऊपर मंजूर की गई रकम की निकासी का उपयोग, उस प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए वह मंजूरी की गई थी, पेश किया जाना चाहिए।

प्ररूप X

.....भा० नि० खाता में के अतिशेष के अन्तिम संदाय/निर्गमित निकायों या अन्य सरकारों को अन्तरण के लिए आवेदन का प्ररूप।

सेवा में,

जिलीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी,
तूतीकोरिन पत्तन,
तूतीकोरिन-628004

(कार्यालय/विभाग के प्रधान के माध्यम से)

महोदय,

मैं सेवा निवृत्त होने वाला हूं/सेवा निवृत्त हो गया हूं.....मास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जा रहा हूं / सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया हूं / "..... को स्थायी रूप से स्थानान्तरित कर दिया गया हूं। .....में नियुक्ति पाने के लिए तूतीकोरिन पत्तन सेवा से अन्तिम रूप से त्यागपत्र दे दिया है, और मेरा त्यागपत्र.....के पूर्वाह्न/अपराह्न से स्वीकार कर लिया गया है। मैंने.....में .....को पूर्वाह्न/अपराह्न पद ग्रहण कर लिया है।

2. मेरा भविष्य निधि लेखा सं०.....है।

3. मेरा नमूना हस्ताक्षर, जो अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित है, दो प्रतियों में संलग्न है।

भाग 1

(वहां भरा जाएगा, जहां अन्तिम संदाय के लिए आवेदन सेवा निवृत्ति के एक वर्ष पूर्व तक दिया जाता है)।

4. मैं निवेदन करता हूं कि मेरे सा० भ० नि० खाते में पड़ी रुपए.....की रकम, जैसा कि.....वर्ष के लिए मुझे जारी किए गए लेखा विवरण (संलग्न) में दर्शित है। जैसा अग्रा द्वारा रखे जाने वाले मेरे खाता लेखा से प्रगट है.....खजाना /उपखजाना के माध्यम से मुझे संदत्त किए जाने की व्यवस्था की जाए।

5. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निम्नलिखित अग्रिम लिया था जिसकी बाबत..... रु. की.....किस्तों को निधि खाते में प्रति संदत्त किया जाना है। मैंने निम्नलिखित अन्तिम निकासी ली थी।

अस्थायी अग्रिम	अन्तिम रूप से रकम की निकासी
1	2
1.	
2.	
3.	
4.	

6. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपने भविष्य निधि खाते से, अपने जीवन-बीमा पालिसी के वित्त पोषण के लिए, निम्नलिखित रकम निकाली थी :

1.
2.
3.
4.

7. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे भविष्य निधि प्रतिशेष की प्रथम किस्त के संदाय के पश्चात् में सेवा निवृत्ति पर तुरन्त इस प्ररूप के भाग-2 में पश्चात्वर्ती किस्तों के संदाय के लिए आवेदन करूंगा।

अभिदाता के हस्ताक्षर

नाम और पता————————

कार्यालय/विभाग के प्रधान द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्त जानकारी को, इस विभाग में रखे जाने वाले अभिलेखों से सत्यापित कर लिया गया है और वह सही है।

कार्यालय/विभाग के प्रधान के हस्ताक्षर

भाग 2

4. अन्तिम संदाय के लिए आप को भेजे गए मेरे आवेदन सं०...... तारीख............के अनुक्रम में मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे भविष्य निधि खाते का प्रतिशेष मुझे संदत्त किया जाए।

या

मैं निवेदन करता हूं कि मेरे खाते में की सम्पूर्ण रकम, नियमों के अधीन देय ब्याज सहित............के माध्यम से मुझे संदत्त की जाए, मेरे भविष्य निधि खाते में अन्तरित की जाए। मेरा भविष्य निधि खाता..............है।

5. ....रु० (............रुपए) की राशि की अन्तिम बार कटौती खजाने/उपखजाने पर ....को ....रु० के माम के मेरे वेतन बिल में से भविष्य निधि अभिदाय के रूप में और अग्रिम की प्रतिदाय मद्धे वसूली के रूप में की गई थी।

6. मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने..........के अधीन सेवा छोड़ने की तारीख से पूर्ववर्ती बारह मासों के दौरान अपने भविष्य निधि खाते में से न तो कोई अस्थायी अग्रिम लिया है न कोई अन्तिम रूप से रकम निकाली है।

या

....................सरकार के अधीन मेरे सेवा छोड़ने की सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख से पूर्ववर्ती बारह मासों के दौरान या उसके पश्चात् अपने भविष्य निधि खाते में से मेरे द्वारा लिए गए अस्थायी अग्रिम के या मेरे द्वारा की गई अन्तिम रूप से निकासी के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

अग्रिम की रकम	तारीख
1.	
2.	

7. मैं यह प्रमाणित करता हूं कि.........सरकार के अधीन मेरे सेवा छोड़ने/सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती के लिए या नई पालिसी का क्रय करने के लिए अपने निधि खाते में से कोई रकम नहीं निकाली है। निम्नलिखित रकम निकाली है:—

रकम	तारीख
1.	
2.	

* भुनाए गए

8. भविष्य निधि से मेरे द्वारा वित्तपोषित जीवन बीमा पालिसियों की विशिष्टियां, जिन्हें आप द्वारा निर्मुक्त किया जाना है, नीचे दी गई हैं:—

पालिसी सं०	कम्पनी का नाम	बीमाकृत राशि
1		
2.		
3.		
4.		

आपका विश्वसनीय

स्थान :

(————————)

तारीख :

हस्ताक्षर

(नाम और पता)————————

पैरा 4 केवल तब लागू होता है जब संदाय किए जाने की वांछा उस जिला मुख्यालय से भिन्न, जहां अभिदाता अन्तिम बार सेवा करता था, अन्य मुख्यालयों पर स्थित खजाने पर की गई हो। अन्यथा काट दिया जाएगा।

कार्यालय/विभाग के प्रधान द्वारा प्रमाणपत्र

1. पृष्ठांकन सं........तारीख........के अनुक्रम में प्रेषित

2. (क) मेरे कार्यालय के अभिलेखों के प्रति निर्देश से सम्यक् रूप से सत्यापन करने के पश्चात् यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक को तूतीकोरिन पत्तन के अधीन उसके सेवा छोड़ने/सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती बारह मासों के दौरान या उसके पश्चात् उसके भविष्य निधि खाते में से अस्थायी अग्रिम/अन्तिम रूप से रकम की निकासी की मंजूरी नहीं दी गई थी।

(2) मेरे कार्यालय के अभिलेखों के प्रति निर्देशों से सम्यक् रूप से सत्यापन करने के पश्चात् यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक को तूतीकोरिन पत्तन.........के अधीन उसके सेवा छोड़ने/सेवा निवृत्त पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह मासों के दौरान या उसके पश्चात् आवेदक के भविष्य निधि खाते में से निम्नलिखित अस्थायी अग्रिम/अन्तिम रूप से रकम की निकासी मंजूर की गई थी और उसने उसे ले लिया था।

उधार/निकासी की रकम........तारीख........वाउचर सं०........

1.

2.

(3) यह प्रमाणित किया जाता है कि तूतीकोरिन पत्तन में कोई मांग वसूली के लिए शोध्य नहीं है या निम्नलिखित मांगें वसूली के लिए शोध्य हैं।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि उसने केन्द्रीय सरकार के किसी

पाधीन कोई नियुक्ति लेने के लिए पत्तन प्राधिकारियों की पूर्वानुज्ञा से तूतीकोरिन पत्तन सेवा से त्यागपत्र नहीं दिया है।

कार्यालय विभाग के प्रधान के हस्ताक्षर

[प० सं०पीईटी-65ई/78]

सा०का०नि० 1191—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलौर पत्तन (पुस्तकालय अध्यक्ष) भर्ती, नियम, 1977 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम नव मंगलौर पत्तन (पुस्तकालय अध्यक्ष) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नव मंगलौर पत्तन (पुस्तकालय अध्यक्ष) भर्ती नियम, 1977 में,

(क) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।"

(ख) अनुसूची में,—

(1) स्तम्भ 7 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

(2) स्तम्भ 8 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"आवश्यक :

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य।

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था की पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि या समतुल्य डिप्लोमा।

(ग) शिक्षा के माध्यम के रूप में या अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में कम से कम उच्च विद्यालय स्तर तक कन्नड़ का अध्ययन किया हो।",

(3) टिप्पण में, परन्तुक का लोप किया जायगा।

[सं० पी ई एल—7/79]

G.S.R. 1191.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Port of New Mangalore (Librarian) Recruitment (Amendment) Rules,

1. (1) These rules may be called the Port of New Mangalore (Librarian) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Port of New Mangalore (Librarian) Recruitment Rules, 1977,—

(a) for rule 6, the following rule shall be substituted, namely :—

"6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.";

(b) in the Schedule,—

(i) in column 7, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"35 years";

(ii) in column 8, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Essential"

(a) Degree of a recognised University or equivalent.

(b) Degree or equivalent diploma in Library Science of a recognised University or Institution.

(c) Should have studied Kannada upto at least High School level either as a medium of Instruction or as a compulsory or optional subject.";

(iii) in the Note, proviso shall be omitted.

[No. PEL-7/79]

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1979

सा०का०नि० 1192—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अधीन नव मंगलौर पत्तन में घाट केन प्रचालक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का नाम नव मंगलौर पत्तन (घाट केन प्रचालक) भर्ती नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

परन्तु विहित अधिकतम आयु-सीमा सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए साधारण आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेंगी।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति. जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियाययतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
घाट क्रेन प्रचालक	12 * टिप्पण कार्यभार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	लागू नहीं होता	35 वर्ष	आवश्यक : मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण विद्युत मोटर और यांत्रिक गियरों तथा सुरक्षा युक्तियों का कार्यसाधक ज्ञान और विद्युत क्रेनों या अन्य क्रेनों के प्रचालित करने का दो वर्ष का अनुभव । वांछनीय : बायरमैन के ट्रेड में ट्रेड प्रमाणपत्र या बायरमैन के अनुज्ञापत्र धारक और उपर्युक्त रूप में अनुभव ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थियो में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
नही होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा टिप्पण : 1—सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लिखित आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रहने वाले अभ्यार्थियों से (उसके भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहते है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । किन्तु जब नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती हैं, तो आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	प्रतिनियुक्ति : अन्य महापत्तनों में समरूप काडरों/श्रेणियों में काम करने वाले व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	समूह 'ग' विभागीय समिति जिसमें निम्नलिखितहोंगे :— 1. मुख्य इंजीनियर और प्रशासक —अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर (यांत्रिक)/कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक)/कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत) (जिसे मुख्य इंजीनियर और प्रशासक द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा)—सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों से समूह 'क' पद धारण करने वाला एक ऐसा अधिकारी, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो —सदस्य 4 वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी—सदस्य 5. सचिव —सदस्य	लागू नही होता

[फा०सं० पी०ई० एस-27/77]

New Delhi, the 1st September, 1979

G.S.R. 1192.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Marine Engineer in the Port of New Mangalore, Ministry of Shipping and Transport, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Port of New Mangalore (Assistant Marine Engineer) Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification :—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications as required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Marine Engineer	1	General Civil Service Gazetted Non-Ministerial	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Essential : Second Class BOT or MOT Engineer Certificate (Motor) or Inland Engineer Certificate (Motor) or equivalent. Or Trade Certificate issued by the Indian Navy to perform duties of a maintenance Engineer on Diesel installation of output upto 40000 HP with experience of independent charge of engine-room of Ship for about 5 years. Note 1 : Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : Experience in the maintenance and repairs of marine crafts or in a ship-repairing workshop or Dockyard or an equivalent service as an Engineer on Merchant Navy Ships.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By transfer on deputation (including short-term contract)/ transfer, failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation (including short-term contract)/ transfer : Officers under the Central/ State Governments/Major Port Trusts holding analogous posts or with 3/8 years service in posts, in the scale of Rs. 550-900/ Rs. 425-700 or equivalent respectively and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation consisting of : 1. Chief Engineer and Administrator 2. Superintending Engineer (Mechanical)—Member 3. Executive Engineer (Mechanical)—Member.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Commission, Consultation with the Commission also necessary while amending/relaxing any of the provisions of these rules.

Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[F. No. PEL-137/77]

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1979

सा०का०नि० 1193.—महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मार्मुगांव पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा निर्मित और गोवा, दमन और दीव सरकार के तारीख 5 अप्रैल, 1979 और 12 अप्रैल, 1979 के राजपत्र में प्रकाशित मार्मुगांव पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) (प्रथम संशोधन) विनियम, 1979 का अनुमोदन करती है।

[सं० पी ई जी (27)/79)]

New Delhi, the 5th September, 1979

G.S.R. 1193.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves of the regulations entitled "The Mormugao Port Employees' (Classification, Control and Appeal) (First Amendment) Regulations, 1979" made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao in exercise of the powers conferred by section 28, read with sub-section (2) of section 124, of the said Act and published in the Goa, Daman and Diu Government Gazette dated the 5th April, 1979 and the 12th April, 1979.

[No. PEG (27)/79]

सा०का०नि० 1194.—महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मार्मुगाव पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा निर्मित और गोवा, दमन और दीव सरकार के तारीख 5 अप्रैल, 1979 और 12 अप्रैल, 1979 के राजपत्र में प्रकाशित मार्मुगांव पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) (प्रथम संशोधन) विनियमन, 1979 का अनुमोदन करती है।

[सं० पी ई जी (27)/79]

G.S.R. 1194.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves of the regulations entitled "The Mormugao Port Employees' (Classification, Control and Appeal) (First Amendment) Regulations, 1979" made the Board of Trustees for the Port of Mormugao in exercise of the powers conferred by section 28, read with sub-section (2) of section 124 of the said Act and published in the Goa, Daman and Diu Government Gazette dated the 5th April, 1979 and the 12th April, 1979.

[No. PEG (27)/79]

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1979

सा०का०नि० 1195.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत विभाग (समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित तकनीकी पद भर्ती) नियम, 1977 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत विभाग (समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित तकनीकी पद भर्ती) द्वितीय, संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत (समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित तकनीकी पद भर्ती) नियम, 1977 की अनुसूची में--

(1) महानिदेशक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने,-

(क) स्तम्भ 7 में, आवश्यक अर्हता (II) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :--

"टिप्पण 1 : अर्हतायें अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतायें) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में उस दशा में शिथिल की जा सकती है (हैं), जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इनके लिये आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।"

(ख) स्तम्भ 13 में, "राज्य सरकार का अधिकारी" शब्दों के बाद "और" शब्द अन्तःस्थापित किया जायेगा,

(2) सहायक इंजीनियर (रेडियो)/प्रकाश स्टेशन का भारसाधक अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 17 के सामने, स्तम्भ II में "प्रोन्नति" शीर्ष के नीचे मद (ख) में "5 वर्ष" अंक और शब्द के स्थान पर "7 वर्ष" अंक और शब्द रखे जायेंगे।

[सं० एल०एल० ई०-164-74-जिल्द-II]
आर०टी० पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 12th September, 1979

G.S.R. 1195.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Lighthouses and Lightships (Recruitment to Group 'A' and Group 'B' Gazetted Technical Posts) Rules, 1977, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Lighthouses and Lightships (Recruitment to Group 'A' and Group 'B' Gazetted Technical Posts) Second Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Lighthouses and Lightships (Recruitment to Group 'A' and Group 'B' Gazetted Technical Posts) Rules, 1977 :—

(i) against serial number 1 relating to the post of Director General ;—

(a) in Column 7, after essential qualification (ii); the following Notes shall be inserted, namely :—

"Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of the candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them." ;

(b) in Column 13, after the words "State Government Officer", the word "and" shall be inserted ;

(ii) against serial number 17 relating to the post of Assistant Engineer (Radio)/Officer-in-charge Light Station, in column 11, under the heading "Promotion", in item (b), for the figure and word "5 years", the figure and words "7 years" shall be substituted."

[No. LLE-164/74-Vol. II]
R. T. PANDEY, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1979

सा० का० नि० 1196.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग में उप-निदेशक और सहायक निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—इन नियमों का नाम गीत और नाटक प्रभाग (उप-निदेशक और सहायक निदेशक) भर्ती नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश शिथिल कर सकेगी।

व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा शिथिल करने और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. उप-निदेशक	13 (तेरह)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनिपिकवर्गीय	1100-50-1600 रु०	चयन	45 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :—आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए तात्विक तारीख वह तारीख होगी जो भारत में अभ्यर्थियों से (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अभ्यर्थियों को छोड़कर) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख है ।	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से उपाधि या समतुल्य । (2) मंचीय नाटक, नृत्य-नाटक, ओपेरा आदि के प्रस्तुती-करण/निदेशन का पांच वर्ष का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रंग कलाओं में उपाधि या डिप्लोमा धारिकों के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों में तीन वर्ष का अनुभव । (3) आधुनिक रंग तकनीक, मंच-शिल्प और समसामयिक रंग-शाला संबंधी विचारधाराओं का ज्ञान । (4) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान । (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । विशिष्टतः अनुभव संबंधी अर्हताएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों के संबंध में, उनके लिए आरक्षित पदों की बाबत, शिथिल की जा सकती है ।) वांछनीय : (1) अभिनय/रंग शिल्प में डिप्लोमा । (2) आलेख लिखने, लोक रंग-शाला के मंचीयकरण और मार्गदर्शन का अनुभव । (3) भारतीय संस्कृति और इतिहास का ज्ञान । (4) सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालय में कार्यालय पद्धति का ज्ञान ।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक योग्यताएं प्रोन्नति से आने वाले व्यक्तियों को लागू होंगी ।	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से रिक्तियों को भरने के लिए प्रतिशत ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसका गठन	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित) और दोनों	प्रोन्नति : सहायक-निदेशक, जिन्होंने नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस	(1) संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष —अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, सूचना	प्रोन्नति, सीधी भर्ती पुष्टी, प्रतिनियुक्ति संविदा पर अधिकारियों को नियुक्त

8	9	10	11	12	13
		के न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा और 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	श्रेणी में आठ वर्ष सेवा कर ली है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधि संविदा सहित) : केन्द्र/राज्य सरकारों के और संगीत/गीत/नाटक आदि से संबंधित मान्यताप्राप्त संस्थानों के, जैसे ललित कला एकादमी, संगीत नाटक एकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आदि के, ऐसे अधिकारी जो समुग पद धारण किए हुए हैं या जिन्होंने 700-1300 रु०/650-1200 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर क्रमशः 5/8 वर्ष सेवा कर ली है और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए स्तंभ 7 में वर्णित अर्हताएं और अनुभव है (प्रतिनियुक्ति / संविदा की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य (3) निदेशक, गीत और नाटक प्रभाग—सदस्य समूह 'क' पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण के मामलों पर विचार करने के लिए) (1) संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय; (2) निदेशक, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय; (3) निदेशक, गीत और नाटक प्रभाग ।	करने समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

1	2	3	4	5	6	7
2. सहायक निदेशक	9 (नौ)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित	650-30-740-35-880-द०रो०-40-960 रु०	चयन	40 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :—आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए सात्विक तारीख, वह तारीख होगी जो भारत में अभ्यर्थियों से (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप से अभ्यर्थियों को छोड़कर) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख है ।	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य । (2) मंचीय नाटक, नृत्य-नाटक, ओपेरा आदि के प्रस्तुतीकरण/निदेशन का तीन वर्ष का अनुभव, अथवा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से रंग कलाओं में उपाधि या डिप्लोमा धारिकों के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों में एक वर्ष का अनुभव (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । विशिष्टतः अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, उनके लिए आरक्षित पदों की बाबत शिथिल की जा सकेगी ।) वांछनीय : (1) सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन का अनुभव ।

1	2	3	4	5	6	7
						(2) आधुनिक रंग तकनीक, मंच-शिल्प और समसामयिक रंग-शाला संबंधी विचारधाराओं का ज्ञान । (3) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान । (4) भारतीय संस्कृति, भारतीय रंगमंचीय परम्परा और भारतीय लोक रंगशाला संबंधी ज्ञान ।

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : प्रबन्धक और निर्माता, जिन्होंने नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा कर ली है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्र/राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए है या जिन्होंने 550-900 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर तीन वर्ष सेवा कर ली है और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए स्तंभ सात में वर्णित अर्हताएं और अनुभव है । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	निदेशक, क्षेत्र प्रचार निदेशालय : अध्यक्ष निदेशक, गीत और नाटक प्रभाग : सदस्य उप-सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय : सदस्य टिप्पण :—जब कभी पोन्नति समिति को सीधी भर्ती द्वारा किसी श्रेणी में नियुक्त किये गये व्यक्ति की पुष्टि के लिए विचार करना हो तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को सहयोजित करना आवश्यक है और वह प्रोन्नति समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।	सीधी भर्ती, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पुष्टि और राज्य सरकार के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

[सं० ए० 12018/3/78-प्रशा०-I/एस० एण्ड डी०)

मोहन सुन्दर राजन, उप सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 22nd August, 1979

G.S.R. 1196.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Deputy Director and Assistant Director in Song and Drama Division of the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Song and Drama Division (Deputy Director and Assistant Director) Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, their classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limits, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limits, educational and other qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rule with respect to any clause or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Deputy Director	13	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1100-50-1600	Selection	Forty Five years *(Relaxable for Govt-servants) *Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipts of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) Five years' experience of producing/directing stage plays, dance dramas, operas, etc. OR Three years' experience in the above fields for candidates possessing a Degree or Diploma in Theatre Arts of a recognised Institute. (iii) Knowledge of modern theatre, teachniques stage craft and trends in contemporary theatre. (iv) Working knowledge of Hindi. (Qualifications relaxable at the discreation of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified in particulars, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them.) Desirable : (i) Diploma in Acting/Stage Crafts. (ii) Experience of writing scripts, guiding and staging of folk theatre. (iii) Knowledge of Indian History & Culture. (iv) Knowledge of office procedure in Govt./semi-Govt. office.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	Two years	25% by promotion failng which by transfer on deputation (including short-term contract) and failing both by direct recruitment and 75% by direct recruitment.	Promotion : Assistant Directors with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation (including short-term contract) Officers under the Central/ State Government and recognised institutions connected with Music/Song/	1. Chairman or Member of UPSC—Chairman. 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting Member. 3. Director, Song and Drama Division—Member. Group 'A' DPC (for	Consultation with UPSC is necessary while making promotion, direct recruitment, confirmation and appointing an Officer on deputation/ contract.

8	9	10	11	12	13
			Dramas, etc. such as Lalit Kala Academy, Sangeet Natak Academy, National School of Drama, holding analogous posts or with 5/8 five/eight) years' service in posts in the scale of Rs. 700-1300/Rs.650-1200 or equivalent respectively and possessing the qualifications and experience laid down for direct recruits in Column 7. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 3 years).	considering cases of confirmation). Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting. Director, Dte. of Field Publicity. Director, Song and Drama Division.	

1	2	3	4	5	6	7
2. Assistant Director	9 Nine	General Central Service Group 'B' Gazetted.	Rs.650-30-740-35-880-EB-40-960.	Selection	40 Years * (Relaxable for Govt. Servents) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) Three years' experience of producing/directing stage plays, dance dramas, operas etc. OR One year's experience in the above fields for candidates possessing a Degree or Diploma in Theatre Art of a recognised Institute. (Qualifications relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates other-wise well qualified, in particular the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them). Desirable : (i) Experience of handling cultural programmes. (ii) Knowledge of modern theatre techniques, stage craft and trends in contemporary theatre. (iii) Working knowledge of Hindi. (iv) Knowledge of Indian culture, Indian Theatrical traditions and Indian Folk Theatre.

8	9	10	11	12	13
No	Two years	By promotion falling which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion : Managers and Producers with three years's service in the respective grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Officers under the Central Government/State Governments, holding analogous posts or with three years' service in posts in the scale of Rs.550-900 or equivalent and possessing the qualifications and experience laid down for direct recruits in column 7. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Director, Directorate of Field Publicity—Chairman. Director, Song and Drama Division—Member. Deputy Secretary, Ministry of Information and Bread-casting—Member. Note : Whenever the DPC is to consider the case of confirmation of a direct recruit in the grade, Chairman or a Member of the UPSC will be associated with it and he will preside over the meeting of the DPC.	Consultation with the UPSC is necessary while making direct recruitment/confirmation of a direct recruit and appointing a State Government Officer on on deputation.

[F. No. A. 12018/3/78-Admn. I/S&D]

M. SUNDRA RAJAN, Dy. Secy.

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1979

सा० का० नि०1197.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेल मंत्रालय के अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) ये नियम अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (ग्रुप 'बी' गैर-तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1979 कहलायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—उल्लिखित पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि :—उल्लिखित पद के लिए भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. अनर्हताएं :—कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका कोई पति/पत्नी मौजूद हो, विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो ; या

(ख) जिसने एक पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो ;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ;

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अन्तर्गत ऐसा विवाह अनुमेय है तथा ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

5. छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या कालोचित हो तो वह इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध से किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों की छूट देने का आदेश दे सकती है ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों में दिये गये उपबन्धों का इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष कोटियों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	16	ग्रुप 'बी' रेल सेवा	650-30-740-35-880-द०रो०-40-1040 रु०	(1) गैर-चयन वरिष्ठता एवं सु-योग्यता के आधार पर पदोन्नति। (2) पदोन्नति के लिए चयन सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधि, सीधीभर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : (1) ग्रेड में 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा सहित ग्रेड 'ग' स्टेनोग्राफरों में से वरिष्ठता एवं सुयोग्यता के आधार पर 50 प्रतिशत। (2) 50 प्रतिशत, महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा की गयी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर ग्रेड में 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा सहित ग्रेड 'ग' स्टेनोग्राफरों में से।	ग्रुप 'बी' वि०प०स० : (1) उप महानिदेशक, अ० आ० एवं मा० संगठन —अध्यक्ष (2) दो निदेशक, अ०आ० एवं० मा० संगठन —सदस्य	इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन करते समय/छूट देते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।

[सं० ई (आर बी) 1-75/44/8]

पी० एन० मोहिले, सचिव,

रेलवे बोर्ड

एवं भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 27th August, 1979

G.S.R. 1197.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Personal Assistants in the Research Designs and Standards Organisation, Lucknow of the Ministry of Railways, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Research Designs and Standards Organisation (Group 'B' non-technical posts), Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed thereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Senior Personal Assistant	16	Group 'B' Railway Service	Rs.650-30-740-35-880-EB-40-1040.	(i) Non-Selection Promotion on the basis of seniority cum-fitness. (ii) Selection for promotion on the basis of limited Departmental Competitive Examination.	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recrtuitment, whether by direct rectt. or by promotion or by depution / transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making) recruitments
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By promotion	Promotion : (i) 50% on the basis of seniority cum-fitness from amongst Stenographers Grade 'C' with 8 years' approved service in the grade. (ii) 50% from amongst Stenographers Grade 'C' with 5 years approved service in the grade on the basis of Limited Departmental Competitve Examination held by the Director General, Research Designs and Standards Organisation.	Group 'B' DPC : (i) Deputy Director General, R.D.S.O. —Chairman (ii) Two Directors R.D.S.G.—Members	The Union Public Service Commmission shall be consulted while amending/relaxing any of the provisions of these rules

[No. E(RB)I-75/44/8]

P. N. MOHILE, Secy., Railway Board, and ex-officio Joint Secy.

संचार मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1979

सा०का०नि० 1198—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेश संचार सेवा (वर्ग 1 पद) भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेश संचार सेवा (वर्ग 1 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विदेश संचार सेवा (वर्ग 1 पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में :—

(1) "महानिदेशक" के पद से संबंधित मद 1 में स्तम्भ 10 में निम्नलिखित टिप्पण जोड़ी जाएगी, अर्थात :—

"टिप्पण :—भर्ती की उपर्युक्त पद्धति का पुनर्विलोकन दो वर्ष के बाद किया जाएगा ।"

(2) "उप महानिदेशक (वित्त)" के पद से संबंधित मद 1 ख में, स्तम्भ 11 में, "भारतीय रेल लेखा सेवा", शब्दों के बाद, "भारतीय रक्षा लेखा सेवा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० ए० 12018/1/78-बी सी]
टी०आई० पंजाबी, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

New Delhi, the 4th September, 1979

G.S.R. 1198.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Overseas Communications Service (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Overseas Communications Service (Class I Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Overseas Communications Service (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963,—

(i) in item 1, relating to the post of "Director General", in column 10, the following Note shall be added at the end, namely :—

"Note :—The above method of recruitment will be reviewed after two years".

(ii) in item 1B, relating to the post of "Deputy Director General (Finance)", in column 11, after the words "Indian Railways Account Service", the words "Indian Defence Accounts Service", shall be inserted.

T. I. PUNJABI, Under Secy.
[No. A-12018/1/78 O.C.]

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1979

सा०का०नि० 1199.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति इसके द्वारा पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन (श्रेणी III तथा श्रेणी IV) के पदों पर भर्ती नियम, 1969 में और संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) ये नियम पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन (श्रेणी III तथा श्रेणी IV) के पदों पर) भर्ती संशोधन नियम, 1979 कहलायेंगे ।

(3) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन (श्रेणी III और श्रेणी IV के पदों पर) भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में 'सांख्यिकीय लिपिक' के पद से संबंधित क्रम संख्या 27 तथा 'सांख्यिक' के पद से संबंधित क्रम संख्या 28 तथा उनसे संबंधित इन्दराजों के लिये क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
"27. सांख्यिकीय लिपिक	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित) लिपिकवर्गीय	330-10-380-द० रो०-12-500-द०रो०-15-560द०	लागू नहीं होता	19 से 26 वर्ष	किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या अंकगणित विषय सहित डिग्री ।

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित आयु तथा योग्यतायें पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी, भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो, तो वे ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्त/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है ।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
28. सांख्यिक	3*	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' (अराजपत्रित) लिपिकवर्गीय	425-15-500-द० रो०-15-560-30-700 रु०	गैर चयन	20—26 वर्ष	किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय या अंकगणित् के विषय सहित डिग्री।

*टिप्पणी :—कार्यभार के अनुसार परिवर्तन हो सकता है।

8	9	10	11	12	13
आयु—नहीं योग्यता—हां	2 वर्ष	75% सीधी भर्ती द्वारा तथा 25% पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	सांख्यिकीय लिपिक के पद पर जिनकी 5 वर्ष की सेवा हो गई हो उनमें से पदोन्नति।	1. मुख्य यांत्रिक अभियंता अथवा परिचालन अभियंता —अध्यक्ष 2. मंडल अभियंता—सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी—सदस्य 4. गैर-विभागीय अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता।"

[सं० 11(23)/78-प्रशा०-III]

सोहन लाल मेदीरत्ता, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 10th September, 1979

G.S.R 1199.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Rehabilitation Reclamation Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1969, namely :

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Rehabilitation Reclamation Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Rehabilitation Reclamation Organisation (Class III and Clzss IV posts) Recruitment Rules, 1969, for serial No. 27 relating to the post of Statistical Clerk and serial No. 28 relating to the post of "Statistician" and the entries relating thereto, the following shall respectively be substituted, namely :

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
"27. Statistical Clerks	2	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not applicable	19—26 yrs.	Degree with Economics or Statistics or Mathematics as a subject from any recognised University.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 yrs.	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
28. Statistician	3*	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial.	Rs. 425-15-500-EB-15 560-30-700	Non selection	20—26 yrs.	Degree with Economics or Statistics or Mathematics as a subject from any recognised University.

*Note :- Subject to variation according to workload.

8	9	10	11	12	13
Age — No Qualification : Yes	2 years	75% by direct recruitmnt; and 25% by promotion; failing which by direct recruitment.	Promotion will be from amongst Statistical Clerks with 5 years' Service.	(1) Chief Mechanical Engineer or Operationnal Engineer —Chairman. (2) Divisionaal Engineer —Mmber. (3 Administrative Officer —Member. (4) Non-Departmental Officer —Member.	Not applicable."

[No. 11(23)/78-Admn.-III]

S.L. MEDIRATTA, Joint Director.

श्रम मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1979

सा०का०नि० 1200.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षण निदेशालय (केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण एकक और उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान तथा हैदराबाद स्थित इलैक्ट्रोनिक्स और प्रोसेस इन्स्ट्रूमेंटेशन संबंधी उच्च प्रशिक्षण संस्थान) वर्ग 3 पद भर्ती नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रशिक्षण निदेशालय केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एकक हैदराबाद और उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रोसेस इलैक्ट्रोनिक्स तथा प्रौसेस इन्स्ट्रूमेंटेशन संबंधी उच्च प्रशिक्षण संस्थान, वर्ग 3 पद भर्ती (iii संशोधन) नियम, 1979 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशिक्षण निदेशालय केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण एकक और उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान तथा हैदराबाद स्थित इलैक्ट्रोनिक्स तथा प्रोसेस इन्स्ट्रूमेंटेशन संबंधी उच्च प्रशिक्षण संस्थान वर्ग-3 पद भर्ती नियम, 1974 में, कुशल कर्मकार से संबंधित क्रम संख्या 28 के सामने :—

(i) स्तम्भ 7 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

1. मैट्रिक या समतुल्य।

2. संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र तथा किसी उद्योग या प्रशिक्षण संस्थान में 3 वर्ष का अनुभव।

या

संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र तथा किसी उद्योग या प्रशिक्षण संस्थान में 3 वर्ष का अनुभव।

(ii) स्तम्भ 10 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, केन्द्रीय राज्य सरकारों के अन्य कार्यालयों में सवृत्त या समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा।

(iii) स्तम्भ 11 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

प्रोन्नति :

इलैक्ट्रोनिकी अनुरक्षक/इलैक्ट्रीशियन/मशीन सहायक/औजार भंडार भारसहायक/सहायक भण्डार पालक/खरादी/मशीनिस्ट/फिटर/औजार/मैकेनिक/असईकार/बढ़ई/मशीन प्रचालक और 260-400 रु० के वेतनमान में अन्य कर्मचारियों से जिन्हें एकक में संबंधित व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव है, ऊपर (1) के न हो सकने पर, कर्मशाला सहायक/मशीन सहायक/भंडार सहायक/औजार भंडार सहायक और 260-350 रु० के वेतनमान में अन्य कार्डरों से जिन्होंने संबंधित श्रेणी में 4 वर्ष नियमित सेवा कर ली है और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।

स्थानान्तरण :

केन्द्रीय राज्य सरकार के अधीन सवृत्त समतुल्य पद धारण करने वाला व्यक्ति।

[सं० डी०जी०ई०टी०-19(2)/78-ए०वी०टी०एस०]

MINISTRY OF LABOUR

(D.G.E.T.)

New Delhi, the 6th September, 1979

G.S.R. 1200.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors at Hyderabad and the Model Training Institute attached thereto, and the Advanced Training Institute for Electronics and Process Instrumentation) Class III posts Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors at Hyderabad and the Model Training Institute attached thereto, and the Advanced Training Institute for Electronics and Process Instrumetation) Class III Posts Recruitment (Amendment No. III) Rules, 1979.

1. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto; and the Advanced Training Institute for Electronics and Process Instrumentation at Hyderabad) Class III Posts Recruitment Rules, 1974 against serial Number 28 relating to the posts of Skilled Worker.

(i) Under column 7, for the existing entries, following entries shall be substituted, namely :—

1. "Matriculation or equivalent

2. National Trade Certificate in the relevant trade with years experience in an Industry or training Institute

OR

National Apprenticeship Certificate in the relevant trade with 3 years experience in an industry or training Institute";

(ii) under column 10, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"By promotion failing which by transfer for amongst Officers holding analogous or equivalent posts in others Central/State Government Offices failing both by direct recruitment";

(iii) under column 11, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"PROMOTION

1. From Maint. Electronics/Electrician/Machine Assistant/Tool Store-in-Charge/Assistant Store Keeper/Turner/Machinist/Fitter/Instrument Mechanic/Welder/Carpenter/Painter/Machine Operator & others in scale of Rs. 260-400 having 3 years experience in relevant trade in the unit.

2. Failing (1) above from Workshop Attendant/Machine Attendant/Store Attendant/Tool Store Attendant and other cadre in the scale of Rs. 260-350, with 4 years' regular service in the respective grade and possessing qualifications prescribed for direct recruitment.

TRANSFER

Persons holding analogous/equivalent posts under the Central/State Governments."

[No. DGET-19(2)/78-AVTS]

सा०का०नि० 1201.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशिक्षण निदेशालय (केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एकक और उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान तथा कलकत्ता स्थित केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय) वर्ग 3 पद भर्ती नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रशिक्षण निदेशालय केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एकक और उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान और कलकत्ता स्थित केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, और क्षेत्रीय (शिक्षुता प्रशिक्षण

निदेशालय) वर्ग 3 पद भर्ती (iii संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशिक्षण निदेशालय (केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एकक और उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान और कलकत्ता स्थित केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय) वर्ग 3 पद भर्ती नियम 1974 में, कुशल कर्मकार से संबंधित क्रम संख्या 47 के सामने :—

(i) स्तम्भ 7 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1) मैट्रिक या समतुल्य।

(2) संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र तथा किसी उद्योग या प्रशिक्षण संस्थान में 3 वर्ष का अनुभव

या

संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र तथा किसी उद्योग या प्रशिक्षण संस्थान में 3 वर्ष का अनुभव,

(ii) स्तम्भ 10 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, केन्द्रीय राज्य सरकारों के अन्य कार्यालयों में समतुल्य या समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा"

(iii) स्तम्भ 11 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"प्रोन्नति

(1) इलैक्ट्रानिकी अनुरक्षक/इलैक्ट्रीशियन/मशीन सहायक/औजार भंडार भारसाधक/सहायक भंडार पालक/खरादी/मशीनिस्ट/फिटर/औजार मैकेनिक/झलाईगार/बढ़ई/मशीन प्रचालक और 260-400 रु० के वेतनमान में अन्य कर्मचारियों से जिन्हें एकक में संबंधित व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव है; (2) ऊपर (1) के न हो सकने पर, कर्मशाला सहायक/मशीन सहायक/भंडार सहायक/औजार भंडार सहायक और 260-350 रु० के वेतनमान में अन्य काडरों से जिन्होंने संबंधित श्रेणी में 4 वर्ष नियमित सेवा कर ली है और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।

स्थानान्तरण

"केन्द्रीय राज्य सरकार के अधीन सदृश समतुल्य पद धारण करने वाला व्यक्ति।"

[सं० डी०जी०ई०टी०-19(2)/78-ए०वी०टी०एस०]

G.S.R. 1201.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto; and the Central Staff Training and Research Institute, the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Calcutta) Class III posts Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. These Rules may be called the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto; the Central Staff Training and Research Institute, and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Calcutta) Class III posts Recruitment (Amendment No. III) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto; the Central Staff Training and Research Institute, the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Calcutta) Class III Posts Recruitment Rules, 1974, against serial number 47 relating to the post of Skilled Worker.

(i) under column 7, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

1. "Matriculation or equivalent

2. National Trade Certificate in the relevant trade with 5 years experience in an industry or training Institute

OR

National Apprenticeship Certificate in the relevant trade with 3 years experience in an industry or training institute";

(ii) under column 10, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"By Promotion failing which by transfer from amongst Officers holding analogous or equivalent posts in other Central/State Government Offices failing both by direct recruitment";

(iii) under column 11, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"PROMOTION

1. From Maint. Electronics/Electrician/Machine Assistant/Tool Store-in-Charge/Assistant Store Keeper/Turner/Machinist/Fitter/Instrument Mechanic/Welder/Carpenter/Painter/Machine Operators & others in the scale of Rs. 260-400 having 3 years' experience in relevant trade in the unit.

2. Failing (1) above from Workshop Attendant/Machine Attendant/Store Attendant/Tool Store Attendant and other cadre in the scale of Rs. 260-350, with 4 years' regular service in the respective grade and possessing qualifications prescribed per direct recruitment.

TRANSFER

Persons holding analogous/equivalent posts under the Central/State Governments."

[No. DGET-19(2)/78-AVTS]

सा०का०नि० 1202.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशिक्षण निदेशालय (केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एकक और उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान तथा मुम्बई स्थित क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय) वर्ग 3 पद भर्ती नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रशिक्षण निदेशालय (केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एकक और उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान तथा मुम्बई स्थित क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय) वर्ग 3 पद भर्ती (III संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशिक्षण निदेशालय केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एकक और उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान तथा मुम्बई स्थित क्षेत्रीय

शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय) वर्ग 3 पद भर्ती नियम, 1974 में, कुशल कर्मकार से संबंधित क्रम सं० 40 के सामने :—

(1) स्तम्भ 7 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :

(1) मैट्रिक या समतुल्य

(2) संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र किसी उद्योग या प्रशिक्षण संस्थान में 3 वर्ष का अनुभव।

या

संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र तथा किसी उद्योग या प्रशिक्षण संस्थान में 3 वर्ष का अनुभव :

(2) स्तम्भ 10 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:—

"प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, [केन्द्रीय राज्य सरकारों के अन्य कार्यालयों में सदृश या समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा"

(iii) स्तम्भ 11 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

"प्रोन्नति

इलैक्ट्रोनिकी अनुरक्षक/इलैक्ट्रीशियन/मशीन सहायक/औजार भंडार भारसाधक/सहायक भंडार पालक/खरादी/मशीनिस्ट/फिटर/औजार मैकेनिक/अलाईगार/बढ़ई/मशीन प्रचालक और 260-400 रु० के वेतनमान में अन्य कर्मचारियों से जिन्हें एकक में संबंधित व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव है; ऊपर (1) के न हो सकने पर, कर्मशाला सहायक/मशीन सहायक भंडार सहायक/औजार भंडार सहायक और 260-350 रु० के वेतनमान में अन्य काडरों से, जिन्होंने संबंधित श्रेणी में 4 वर्ष नियमित सेवा कर ली है और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं :

स्थानान्तरण :

केन्द्रीय राज्य सरकार के अधीन सदृश समतुल्य पद धारण करने वाला व्यक्ति।"

[सं०डी०जी०ई०टी०-19(2)/78-ए०वी०टी०एस०]

एच०एस० राजू, अवर सचिव

G.S.R. 1202.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto, and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Bombay) Class III posts Recruitment Rules, 1974, namely :—

1.(1) These Rules may be called the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto, the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Bombay) Class III posts Recruitment (Amendment No. III) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto; the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Bombay) Class III Posts Recruitment Rules, 1974, against serial number 40 relating to the post of skilled worker ;

(i) under column 7, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely :—

1. "Matriculation or equivalent.

2. National Trade Certificate in the relevant trade with 5 years' experience in an industry or training Institute

or

National Apprenticeship Certificate in the relevant trade with 3 years' experience in an industry or training Institute" ;

(ii) under cloumn 10, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"By Promotion failing which by transfer from amongst Officers holding analogous or equivilent posts in other Central/State Government Offices failing both by direct recruitment" :

(iii) under column 11, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"PROMOTION

1. From Maint. Electronics/Electrician/Machine Assistant/Tool Store-in-Charge/Assistant Store Keeper/Turner/Machinist/Fitter/Instrument Mechanic/Welder/Carpenter/Painter/Machine Operator & others in the scale of Rs. 260-400 having 3 years' experience in relevant trade in the unit.

2. Failing (1) above from Workshop Attendant/Machine Attendant/Store Attendant/Tool Store Attendant and other cadre in the scale of Rs. 260-350, with 4 years' regular service in the respective grade and possessing qualifications prescribed for direct recruitment.

TRANSFER

Persons holding analogous/equivalent posts under the Central/State Governments."

[No. DGET-19(2)/78-AVTS]

H. S. RAJU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979